

[Shri R. Venkataraman]

for the services of the financial year 1981-82 be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Assam for the services of the financial year 1981-82 be taken into consideration."

*The motion was adopted*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"that clauses 2 and 3 stand part of the Bill"

*The motion was adopted.*

*Clauses 2 and 3 were added to the Bill*

*The Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI R. VENKATARAMAN: I beg to move:

"That the Bill be passed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

13.27 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned for Lunch till thirty minutes past fourteen of the Clock.*

*The Lok Sabha reassembled, after Lunch, at Thirtyfive minutes past fourteen of the Clock.*

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

ESSENTIAL COMMODITIES (SPECIAL PROVISIONS) BILL—Contd.  
PREVENTION OF BLACKMARKETING AND MAINTENANCE OF SUPPLIES OF ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL—Contd.

MR. DEPUTY SPEAKER: We will now take up further consideration of the motion on Essential Commodities (Special Provisions) Bill and the motion on Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities (Amendment) Bill.

Shri Bhuria was on his legs. He has spoken for one minute. He may resume his speech.

श्री विनीप सिंह भूरिया (झाबुआ) :  
उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन पहले जो मैंने भाषण देना शुरू किया था आज उसको पूर्ण करने का जो मौका आपने मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दलों के सदस्यों के भाषण सुन रहा था। हम जो कानून बनाते हैं उनकी तो वे तारीफ करते हैं परन्तु मुझे अफसोस है कि जब हम उसे एक्जीक्यूट करते हैं तो उसका वे विरोध करते हैं। हमने 1975 में एमर्जेंसी लगाई थी और उस पीरियड में देश और देश के लोगों का बहुत विकास हुआ था। हमने सोने का भंडार भरा, देश के खाद्यान्न के गोदाम भरे और तन्नाम ब्लैक मार्किटियर्स और कास्तान्जातरियों को बन्द किया। इन सब के कारण देश का तेजी के साथ विकास हुआ। मैं चाहता था कि हमारे विरोधी दलों के सदस्य कम से कम इसकी तारीफ करते।

जब हमने 1977 में सत्ता छोड़ी तो जितने भी ब्लैक मार्केटिंग्स और कालाबाजारी करने वाले बन्द थे वे सब बाहर आ गये। फिर वही बातें बढ़ गयी जो पहले थी। अगर किसी बच्चे की मं मर्यादा करती है, तो बच्चा नहीं बच सकता है। यही हाल जनता पार्टी के राज में अर्थव्यवस्था का हुआ। तमाम का तमाम प्रशासन ठप्प पड़ा था और यही कारण है कि आज हमें अमेरिका से अन्न मगाना पड़ रहा है। विदेशों से दूसरी चीजें मंगानी पड़ रही है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम देश की तरक्की और विकास करना है तो हमें सब से पहले इन ब्लैक मार्केटिंग्स और कालाबाजारियों को खत्म करना है। मैं अपने विरोधी दलों के भाईयों को भी यह कहना चाहता हूँ कि आपकी जानकारी में भी ऐसे जो लोग हो उन्हें बताएं। ये लोग प्रजातंत्रों के लिए खतरा हैं। ये लोग प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। तभी इस देश का और इस देश के लोगों का विकास होगा। नहीं तो हमारी सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दाना और पानी मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, आज उनके पास दाना भी है और पानी भी है, कि वे हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाएं। आज गांवों के लोगों की जो हालत है उस में हम अपनी वितरण व्यवस्था के द्वारा राहत पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने सहकारी आन्दोलन को बढ़ाना होगा। क्योंकि जो कण्ट्रोल का माल आप वहाँ के लोगों के लिए देते हैं वह अगर सड़कों में बेच दिया जाएगा तो गांव वालों को माल नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे देश में जो डेढ़ लाख प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसायटीज

हैं और जिनकी मेम्बरशिप 7 करोड़ है, उनका पार्टिसिपेशन हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में होना चाहिए। इन सहकारी समितियों के द्वारा हम अपनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुचारु रूप से चला सकते हैं, जिससे कि गांव के गरीब और हरिजन आदिवासियों तक आवश्यक चीजें आसानी से पहुंचा सके।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि अगर इन देश से अपने ब्लैक मार्केटिंग्स और कालाबाजारियों को खत्म करना है तो हमारे सहकारी आन्दोलन को मजबूत किया जाए। हमारे राष्ट्र की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी 15 अगस्त को कालाबाजारियों और चोर बाजारियों के बारे में अफसोस जाहिर किया था। अगर हमें इनको खत्म करना है तो हमें सहकारी आन्दोलन को मजबूत करना होगा। इनको हम सख्ती कर के ही खत्म कर सकते हैं। इनको फासी लगा कर भी खत्म करने की आवश्यकता है तो बना भी हमें कानून बनाना चाहिए। तो ऐसा कानून बनाना चाहिए। यह कालाबाजारी और ब्लैकमार्केट प्रजातंत्र पर, एक बलक है। इस कलंक को धोने के लिए, साफ करने के लिए सख्ती से कानून लागू करना होगा यह कार्य हमको सख्ती से और तेजी से करना होगा तब यह समाप्त होगा।

इन शब्दों के साथ ही माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। जय-हिन्द।

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri). Mr. Deputy Speaker, Sir, rise not oppose the objects of the Bill and we on this side have never opposed the steps taken by the Government to do effectively with the persons indulging in anti-social or similar activities. However, some

[Shri Bapusaheb Parulekar]

of the hon members from that side who spoke the other day made mention that that some knowledge has dawned upon the opposition members and now they have stopped opposing this motion; but when the previous Bill, namely, Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities was passed, we staged a walk out and now we are supporting the objects of very clear in order to keep the record straight that at that time the walk out was not for the purposes the Bill. I would like to make it of opposing the objects of the Bill but it was because of the law of detention which according to us was a law of the Jungle; and we are governed by the rule of law and it is our say and it will be our say that no person should be kept behind bars unless opportunities have been given to him to defend himself against the charges; it was because of that we staged a walk out. I would like to repeat it that that walk out was not staged because we wanted to oppose the objects of that particular Bill. This particular act came to be passed first in the House in 1954 and the provisions were made stringent by making amendments in 1976. I would like to ask the hon. Minister whether during all these years and even after making the law stringent by amendments in 1976, the prices have come down? What I mean to say is that by making the provisions stringent the prices will never come down; It requires a strong political will and strict implementation of the law.

[SHRI HARINATH MISRA *in the Chair*]

13 hrs.

Now I would like to invite the attention of the hon. Minister to the fact that the implementation of these laws is not properly made. So, I wanted to make a submission that some provisions should be incorporated in the Bill with regard to implementation. I had the opportunity to con-

duct many cases under this particular Act, and if we see the decision of the court we will find that the courts were compelled to acquit the accused not because of any wrong provision of law or because of any deficiency in the law but because of the investigation procedure, because the *panchas* were brought by the police, the habitual *panchas* were brought. In 99.5 per cent of the cases, the *panchas* turned hostile. The *Panchnamas* of the property were not properly made and the Magistrates and the judges were compelled to acquit the accused though there was no lacuna in this particular law.

This is not the only case. Since 1954 we have COFEPOSA. We have Preventive Detention. Then we have Prevention of Blackmoney Act. It is about a year that we had passed the Prevention of Blackmoney Act. At that time, I remember the hon. Home Minister said, if this law is legislated and the powers are given to the executive to detain persons against whom there is a suspicion that they are indulging in such activities, it is very likely that in a few months we will bring down the prices. I would like to pose a question and ask the hon. Minister to tell us what is the position since the passing of this particular Bill by which we have taken this draconian power to detain the persons behind bars without trial. I want to know whether the prices have come down. This is what you have said in the preamble.

"whereas for dealing more effectively with persons indulging in such anti-social activities and the evil of vicious inflationary prices...."

But I submit that even with the passing of this measure, this objective will not be achieved. The preamble is a confession on the part of the Government that by legislation the prices cannot be brought down. Therefore, I would request the Government to consider seriously what steps the Government would be required to take to achieve this objective.

As far as the Bill is concerned, I find that only four amendments are

sought to be made to the original Act of 1954. The first provision is that instead of the appeals lying to the judicial authority when the collector used to confiscate the goods, the forum is changed and appeals are to lie to the State Governments. The second amendment is that the offence is made non-bailable. The third amendment is that special courts are being established. I do not know why they are in favour of special courts when they had developed an allergy for special courts.

MR. CHAIRMAN: The circumstances may be special.

SHRI BAPUSAMEB PARULEKAR: may be special.

Maybe there are special circumstances on the basis of which the amendments are being made. The fourth amendment is that a minimum sentence of three months is prescribed. By bringing these four amendments, do you seriously feel that the prices of essential commodities will be brought down? If you ask me, I will honestly say that even if you make the law more stringent, the prices will not come down.

There is another interesting aspect of the Bill. Clause 1(3) of the Bill says that it shall cease to have effect on the expiry of five years. Government feel that with these four amendments, within five years the prices will come down. I would ask the Minister, since the passing of the Prevention of Blackmarketing Bill providing for detention, how many persons have been detained and what is the price index now? This will show that none of the objectives mentioned to this House by the Minister have been achieved.

On page 6, in the statement of objects and reasons, it is mentioned that there are a large number of court cases pending under the principal Act all over the country and the price rise continued unabated in the years 1979 and 1980 and therefore, this amending Bill is being brought. As you observed, Mr. Chairman, there are special circumstances and this may be one of those special circumstances, i.e.

backlog of 76,000 cases. But surprisingly the provisions have not been made applicable retrospectively. Clause 2 says:

"provided that the amendments specified in sections 7 to 11..."—I feel the word 'sections' is wrong, because only section 8 is amended, at least that amendment they shall have to accept—"shall not apply to, or in relation to, any offence under the principal Act committed before the commencement of this Act..."

So, you yourself say that the jurisdiction of the special courts will not extend to those 76,000 cases which are pending as mentioned in the statement of objects and reasons. Therefore, in what way are you going to dispose of those pending cases? I do not know why those cases are not being brought under the jurisdiction of the special courts. I request the Minister to explain why this should not be made applicable retrospectively and why it should be only prospective.

Coming to clause 5, this is an amendment to Section 6c of the principal Act. In this the authority to file appeals, has been given to the State Government instead of the judicial authority. I do not know the reasoning. The only reasoning which I tried to hunt out from the Statement of Objects on page 7 is that in order to ensure availability of essential commodities to the consumers provision is being made for preferring appeal against the order of confiscation to the State Government. How by preferring an appeal to the State Government instead of the Sessions Judge or the Judicial Magistrate, the prices are to come down? I would very much like to be enlightened by the hon. Minister on this particular point.

Kindly consider the difficulties which the people will be experiencing. The persons who have committed the offence should be dealt with very severely. But at the same time, it is our

[Shri Bapusaheb Parulekar]

duty to see that the innocent persons do not suffer. Supposing an offence is committed in a remote village and the goods are confiscated. Formerly under the Act of 1954 or 1976 the person used to go to taluka place to file an appeal with the sessions judge or the magistrate. If villagers are charge-sheeted and arrested, how many of them will be in a position to go to the State capital? That may be told to us by The hon. Minister. At the same time, he may also tell the logic behind this particular amendment.

Instead of making these offences non-bailable I would like that some stringent steps should be taken. I would like to make a submission and a very serious submission that a distinction should be made between offences of an ordinary nature and the offences of hoarding and black-marketing. Not displaying the items and prices on the board is an offence and black-marketing and hoarding is also an offence. If you read the entire Act, the punishment and the bail provision are the same. I respectfully submit that by this way, we are going to make grave injustice to those people who are petty shopkeepers. I am reminded of a case. In a village there was a small shop where total commodities were not worth Rs. 1000. That man displayed the prices on the board with a chalk. There was a shower and in the shower the board was washed away. At the instigation of somebody, he was arrested by the police. If that be the case, then he will not be able to get bail. And the minimum punishment is three months. Kindly consider the difference between serious offences and petty offences. That is why I say that this Bill has not been properly drafted.

MR. CHAIRMAN: You mean to say that the offences should be categorised.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Yes, Sir.

Then the hon. Minister has made the offences non-bailable. I would respectfully submit that by making the offences non-bailable it will not be possible to curb and check this mischief. Non-bailable offence is not an offence where bail cannot be granted and the bail cannot be considered as a matter of right. But even there the Magistrate would release the man on bail.

THE MINISTER OF AGRICULTURE  
AND RURAL RECONSTRUCTION  
AND IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH):  
Why do you bother?

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: There is a proviso that any person shall not be released on bail unless he is under the age of 16 years or is a woman or is a sick or infirm person. Such a serious step has to be taken against black-marketeers and hoarders only.

With reference to special courts, I may submit that the special courts are established to try person who commit such offences and the powers are given to the Magistrate. But here the abettor has been made to stand on a different footing. The abettor is a person who commits the offence of a serious nature. He should be dealt with severely. In clause 8 there is a provision to release him on bail That should be checked.

If we take into consideration all other provisions on which I will speak when I move the amendments, this Bill as a whole—I am sorry to say—is not properly drafted, the implementation would not be proper and the objective will not be achieved. It is very necessary that it should be sent to the Select Committee so that a threadbare discussion on every clause, every provision of the Bill, could be had. Though I support the objects of the Bill, I do not support the draft of this particular Bill, which contains many lacunae.

\*SHRI V. S. VIJAYARAGHAVAN (Palghat): Sir, I support this Bill. I congratulate the hon. Minister for bringing this measure, which is meant to deal with blackmarketeers, hoarders and profiteers.

It is the State Governments which have to implement this law. Therefore, we must see that they do implement it and there is no let-up in the implementation. Why I say this is that last time when the Preventive Detention was enacted for effectively dealing with blackmarketeers, who deal in essential commodities, the Government of Kerala and the Government of West Bengal openly said that they would not use Preventive Detention against the blackmarketeers. This stand of these State Governments encouraged the blackmarketeers and resulted in further price rise. These State Governments could not raise a little finger against the elements who were responsible for price rise. Therefore, the Central Government should think about a mechanism whereby the law passed by Parliament can be implemented effectively ever if the State Government hesitates to do that.

My friend, Shri Balanandan of the CPM supported this Bill. He wanted the punishment to be for 5 years instead of 2 years as is provided in the Bill. While I am happy that he supported it, I wonder whether he sincerely meant it. The reason is that his party which is running Government in to States had refused to use preventive detention against the very same elements who are meant to be punished by this law. Any way, I hope the State Governments run by his Party will implement the law.

The country is facing a terrible inflationary situation. It is said that the rate of inflation is around 18 per cent. This has pushed up the prices and the Government will have to take very stringent measures to deal with that. I want to say a word about the officials who are entrusted with the task of

implementation of these laws. The Government should see to it that the officials do not misuse the provisions of the Bill. The Government should also see to it that while implementing the law honest citizens are not put to harassment.

Once again supporting this Bill, I conclude.

SHRI R. L. BHATIA (Amritsar): Mr. Chairman, I was surprised to listen to Shri Parulekar, who was referring to special courts. He probably forgot that during the Janata rule so many special courts were constituted against politicians, against the opponents and good citizens. We are having special courts for summary trial only against anti-social elements like blackmarketeers and hoarders. So, he should not object to this. He was very proud in his intentions. So far as the objects of the Bill are concerned, he is one with us. But he was mentioning that suppose a vendor in a village has committed some offence, he will have to spend a lot of money to go to the court which will be difficult for him. So far as anti-social elements are concerned, whether they are in the villages or towns, they must be punished whatever the circumstances.

This Bill is being brought forward to curb hoarding and check blackmarketing. It is a fact that we brought forward an amending Bill in 1976, but its provisions were not sufficient to punish the anti-social elements. We had to plug the loopholes and that is why this Bill is being brought forward.

At present there are over 50,000 cases in the courts and the tardy procedure of the civil courts always comes in our way and we are not able to punish the guilty, as we desire.

15.00 hrs.

So, taking this into consideration we have thought of bringing this Bill to make it more stringent and by

\*The original speech was delivered in Malayalam.

[Shri R. L. Bhatia]

enforcing the provisions of this Bill we will be able to achieve our objects.

Sir, the first amendment is the summary trials. Normally in the court it takes a lot of time to carry on these cases and see that the guilty are punished. Therefore, in order to have an expeditious trial we are bringing about the summary trials in this special court.

Secondly, we have made it mandatory that if there is anybody who is committing this offence, he will have the punishment for a minimum period of three months. Formerly, this provision was not there, and by bringing this provision it will be a sufficient deterrent for the anti-social elements to act in this way.

Thirdly, we have made this offence non-bailable. Formerly, the culprits would always get out of our hands by seeking bail and then follow up the cases and the cases took a long time. Since they are non-bailable now, it will be a sufficient deterrent for these people, for the black marketeers and for the hoarders.

One more thing has been added that the goods will be seized and sold. Formerly culprits would always come to the court with an application that 'the goods are perishable, they would rot'. So generally the courts would permit them to have the seized goods back if they gave sufficient security. But in this case it will not be possible, the goods would be sold out and the money deposited in the court.

There are the main provisions which we are bringing about and we hope that these provisions will be able to achieve our object with regard to hoarding and blackmarketing.

But, Sir, my mind goes farther and I feel that it is not by law alone we can check all these things. We have made laws in the past also, we have brought about amendments also and we are bringing amendments even now. But at the same time we have to see our policies also. Some time back we initiated our policies of procurement, our policies of storage and our policies of distribution so far as foodgrains and essential articles are concerned. So if we have a look at our policies and their implementation we find that there are many flaws. With regard to procurement, take for instance, the procurement of wheat in the last season. What we find is that in our system there are certain lacunae, there are certain areas where the hoarders and blackmarketeers always find out a certain way and play their part. We must procure every single grain that comes to the market. Last year what happened was that people from Bombay and other areas, before the Government functioned and started procurement, had already taken away a good deal of wheat from Punjab and Haryana and the result was that we in Punjab and Haryana got a bad name that we could not fulfil our targets. So it is very important that the procurement system should be enforced in such a manner that we get every single grain that comes to the market. It is a policy matter no doubt, whether you have state trading in wheat or you have a monopoly procurement system or whatever system you have and it is imperative that a country like India you have to feed 68 crores of people. How can you do it in the manner in which you are doing it now? The hoarders and blackmarketeers always find a way out and they create a problem for us

PROF. N. G. RANGA (Guntur):  
Make the FCI more efficient.

SHRI R. L. BHATIA: Whatever it is, it is for him I am only just suggesting it.

You have to import 1.5 million tonnes of wheat from outside. Last year I wrote to you and to the Prime Minister that in America wheat is rotting. At that time there was embargo on Russian purchases and China had not come to the market. I reported to you when I came back from America that the wheat was lying outside over there and is very cheap. There is a great depletion of our food stocks. I suggested to you if at all you have to buy, it is right time to buy. You purchased this year when embargo was not there and China has come to make purchases. Had you purchased at that time it would have been economical and your granary would have been full. Procurement could not have been that bad as it is now. We would not have gone through all this. Hoarders would not have taken advantage of the situation and the black marketers would not have taken this advantage at all.

This is your obligation. It is good that you have imported now and you have improved your storage. But I am sorry that a man like Shri Bajpayee objected to this. Some of our friends are also objecting. Shri Vajpayee said in Bombay, "We will tell the workers not to unload. We will tell the traders not to sell it and we will tell people not to buy it." To improve the stock position Vajpayee objects his buying wheat? Is this his attitude? I am glad that the Minister has imported this year and improved his storage of wheat and it will be possible for us to feed back our fair price shops.

Similarly, with regard to storage I must say that we must build the storage capacity more because last year and even a year back I found in Punjab and Haryana areas lot of paddy had deteriorated. I put a number of questions. Even today my question was there and you agreed that there has been some deterioration in stock and there have been losses.

India is large in size and population. We must keep up enough food and arrange go downs to see that we feed back our fair price shops. In this country there is also drought, etc. Keeping in view the over all position we must improve on this side also.

Now I come to distribution. I must say to my dissatisfaction that our distribution system is very defective. The poor people do not get essential articles at the fair price shops. The poor man goes and finds the shop closed. Second time he again finds it closed. The third time when he finds the shop open, the ration dealer says that all the stocks have been sold out. We are getting such complaints. I know it is not your affair, But there should be some liaison between the Centre and the State. When we are procuring for the people, why have we given distribution to them? Why do we not do it directly? We must improve the situation. People must get essential articles. You are supplying it. You are making them available from India and abroad. If it does not reach the poor people, it means there is something wrong. We ought to see to it.

I must say that apart from these changes which we are bringing about, the provisions which we are bringing about, it is very imperative that we look into our policies and see if we can implement to the extent that people feel satisfied. With these words I support this Bill.

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) :  
 नभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, श्री राव साहब को अपनी ओर से और अपने दल की ओर से विश्वास दिलाया चाहता हूँ और सहयोग प्रस्तुत करता हूँ कि काला-बाजार और जखीरेदाज, इनको दंडित करने के लिए आप के पास जो भी अधिकार है और जो आपको चाहिए, वे हम आप को



[श्री गृष्ण कुमार गोयल ]

देने के लिए तैयार हैं। हमारी यह मान्यता है कि जो देश के अन्दर काला-बाजारी करते हैं और देश के हित को ध्यान में न रखते हुए जखीरेबाजी करते हैं, वे देशद्रोही हैं और उनको जितनी अधिक से अधिक सजा दी जाए, उतनी कम है तथा उनको किस प्रकार से दंडित किया जा सकता है, यह हमको देखना है। लेकिन सभापति जी, श्री राव साहब दो विधेयक लेकर सदन में आए हैं और सदन को विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि अगर यह दो रामबाण आपने हमको दे दिए और ये दो विधेयक पास करके आप ने दे दिए, तो जितनी देश के अन्दर काला-बाजारी और जखीरेबाजी हो रही है, वह समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और आप बिल्कुल निश्चिन्त रहिए।

मैं आपके माध्यम से राव साहब से कहना चाहूंगा कि आप के पास आज जो भी अधिकार है और जो दो विधेयक लेकर आप सदन में उपस्थित हुए हैं, इन दोनों विधेयको मे ऐसी कौन सी खास बात है, जिसके कारण आप यह समझते हैं कि जो काम आप अभी तक नहीं कर पाए हैं, वे कर लेंगे। सभापति जी, अभी तक सरकार के पास नेशनल-सिक्योरिटी-एक्ट, एसेम्बली-कॉमिडिटीज-एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग-एक्ट—ये तारे वानूंगे आपके पास हैं और जिम्मे तहत आपको गजा देने के अधिकार है। लोगों का बिना कारण बताए, उन पर मुकदमा करने और पकड़ने का अधिकार है। मैं आपसे कुछ ही चाहना हूँ कि अभी तक इन तीनों कानूनों के होते हुए आपने कितने लोगों को पकड़ लिया, कितनों को सजा दी और आप कितने कामयाब हुए? लगता ऐसा है, जैसा कि राजस्थान से आने वाले कांग्रेस के ही संसद सदस्य, श्री बुद्धिचन्द्र जैन जी, ने कहा था कि अगर हम

वास्तव में कुछ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसे लोगों से हमें मुक्ति मिले तो उसके लिए राजनीतिक इच्छा की आवश्यकता है। उसके लिए संकल्प चाहिए, क्या वह संकल्प आज हमें दिखाई दे रहा है ऐसा लगता है कि सरकार कानून बनाना चाहती है, कानून बनाने का नारा, समाजवाद का नारा देना चाहती है, लेकिन वास्तव में कुछ करना नहीं चाहती है। चूकि यह राव साहब को डिपार्टमेंट से सम्बन्धित नहीं है, इस लिए मैं सदन के सामने इसकी गम्भीरता की रखना चाहता हूँ। जिस समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भाव बढ़ाए गए, तो इसके सूचना सारे देश में थी कि इसके भाव बढ़ेंगे और उसके दाम बढ़ें।

अब मैं आपका ध्यान एसेम्बली कामों, डिटीज ऑफ फर्टिलाइजर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यूरिया, जो कि नाइट्रोजन खाद है, उसके भाव में 350 रु० टन की वृद्धि की गई। मैं सरकार से जानकारी चाहूंगा कि जब 350 रु० टन यूरिया की खाद पर वृद्धि की गई, तो देश के अन्दर लगभग 15-20 कारखाने नाइट्रोजन खाद पैदा करते हैं और उन्हे पास जो स्टॉक था, क्या सरकार ने उम स्टॉक को अपने कब्जे में लिया? जिस राई-मैटिरियल से नैपथा से यूरिया पैदा हुआ था, उस पर भी उतना ही पैसा लगा था, लेकिन इसके दाम नहीं बढ़ाए और 350 रु० टन की यूरिया में वृद्धि की। सरकार ने जिन लोगों के पास इसका अम्बार भरा पड़ा था, उस को जब्त करने की कोशिश नहीं की। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि केवल तैयारशुदा माल ही, ये सब कारखानों के जो मालिक हैं, नैपथा जो कि इस का

रों मैटिरियल है, जिसके आधार पर यूरिया तैयार होता है उसका प्राइस बढ़ाने के कारण यूरिया की प्राइस बढ़ाई गई। उस नैपथा का स्टॉक इनके पास मनमाने ढंग से पड़ा हुआ था। मैं मांग करता हूँ कि यह जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इस सरकार के अधिन के संठगठ के कारण कारखानों के मालिकों के यूरिया को जब्त न करने के कारण, नैपथा की कीमतों का असेसमेंट न करने के कारण, केवल एक दिन में 103 करोड़ रुपये का नाजार्थक फायदा यूरिया के कारखानों के मालिकों ने उठाया है।

मैं अभी डीलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ उन का चैंबिंग भी होना चाहिए था। जिस कीमत पर माल तैयार किया गया था, उस की इन्क्रीज का फायदा सरकार ने उन को कैसे उठाने दिया और वह भी करोड़ों रूपयों का फायदा? मैंने एक उदाहरण दिया है—क्या इस के बाद भी सरकार मंशा रखती है कि उन करोड़पतियों, पूजीपतियों, कारखाना मालिकों पर अंकुश लगाना चाहती है, उन पर इस कानून को लागू करेगी? मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता है।

एक उदाहरण पहले भी दिया जा चुका है और इस मौके पर भी मैं उस को दोहराना चाहता हूँ ...

**समापति महोदय** जो दिया गया है उसको दोबारा क्यों ले रहे हैं कोई नई बात कहिए।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** . मुझे समझ कर देने दीजिए। शक्कर और गेहूँ के लिए आपने प्रचार किया है और यह सत्य भी है कि इस साल जो उत्पादन हुआ है, वह रिकार्ड उत्पादन है, लेकिन चूकि कालाबाजारी करने वाले लोग, जखीरेबाज लोग, उस को दबा कर बैठे हैं, बाजार में

लाना नहीं चाहते हैं इसलिए सरकार मजबूर हो कर गेहूँ और शक्कर का इम्पोर्ट कर रही है। रावमाहब, क्या यह सरकार की कमजोरी नहीं है, इस अधिकार को लेकर आप क्या करेंगे? जब आप खुद कहते हैं कि शक्कर की कमी नहीं है, गेहूँ की कमी नहीं है, लेकिन जखीरेबाज दबा कर बैठे हैं, भाव बढ़ रहे हैं, इसलिए सरकार मजबूर हो कर बाहर से मंगा रही है। मेरा यह निवेदन है कि जब तक पोलिटीकल विल नहीं होगी, तब तक जिस चीज को करने की हमारी इच्छा है, संकल्प है, उस का रिश्ता वोट और वोट के पैसे से जोड़ कर रखेंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। चाहे किसान हो, व्यापारी हों, मजदूर हों, विद्यार्थी हों, जब तक अपने फंसलों को वोट और राजनीति से जोड़े रहेंगे, देश में कुछ नहीं कर सकते। आप अधिकार माग रहे हैं, लेकिन जब इच्छा नहीं है तो मांगने से क्या होगा? जैसा अभी भाटिया जी ने कहा देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्टेन्थन करेंगे तो कालाबाजारी और जखीरेबाज अपने आप खत्म हो जायेंगे। मैं अपने को और इस सरकार को, दोनों को दोष देना चाहता हूँ—हाफ-हाटर्ड-वे में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं चल सकता। हम जन-वितरण प्रणाली देश में ला रहे हैं, हम ने भी इस का रानि वा प्रयत्न किया और आप ने भी किया लेकिन इस को ईमानदारों के साथ मजबूत करने की वंशिश नहीं की गई, यदि इस का ईमानदारी से मजबूत करने की कोशिश की जायगी तो इस देश में अवश्य इस समस्या का निदान हो जायगा।

जहाँ तक महंगाई का बात है—8 अगस्त, 1981 का महंगाई वा हॉलसेल प्राइस इण्डेक्स 287.2 पर पहुच गया—आप बतलाइये इस सरकार का क्या उपलब्धि है? जिस समय यह सरकार सत्ता में आई थी—मानी 19 महीने पहले, उस

[श्री कृष्ण कुमार गोयल]

समय इण्डेक्स 226.6 था, लेकिन 19 महीनों में 226.6 से बढ़ कर 287.2 पर पहुँच गया, यह इस प्रकार की उपलब्धि है, यानी एक सप्ताह में 1 प्वाइण्ट वृद्धि होती गई और मैं समझता हूँ—यह रिकार्ड वृद्धि है। इस के लिए आप भले ही इस सरकार को बधाई दीजिए, लेकिन कहा तक अपने मुँहों को छुमा सकेंगे। दोनों कानून आपने पास कर दिये तो हम कुछ कर सकेंगे—मैं कहता हूँ आप कुछ नहीं कर सकेंगे, चाहे आप कितने कानून पास कर लीजिए। हम आप का अधिकार देन के लिए तैयार है लेकिन कुछ कर के दिखलाए।

हम ने कहा है कि इन को सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, लेकिन सरकार इस को फौरन पास कराना चाहती है। यदि सरकार इन दोनों कानूनों के लिए इतनी गम्भीर थी तो इनके लिए आर्डिनेंस ला सकती थी—आप आर्डिनेंस क्यों नहीं लाये.....

राज बोरेंद्र सिंह : आप की सलाह से करना चाहते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आर्डिनेंस ले कर क्यों नहीं आये।

सभापति महोदय : आप कितनी देर और लगायेंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं जल्दी ही समाप्त करूँगा, वही कुछ बातें पार्लियामेंट जी ने वापस कर ली है।

सभापति महोदय : 3-4 मिनट में खत्म कर लें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पिछले बजट सत्र में आप ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि उस समय इस को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई। आप इस को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, प्राथमिकता देना चाहते हैं, जल्दी पास कराना चाहते हैं तो जब बजट सेशन में इन दोनों बिलों को रखा गया था, उसी वक्त पास करा लेते, लेकिन आप उस समय धीरे धीरे आगे सरकाते चले गये।

राज बोरेंद्र सिंह : व्यापारियों की बात सुनना चाहते थे, उन्होंने टाइम मांगा था, इसलिए उन को पूरा मौका दिया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : व्यापारियों से बातचीत चल रही थी :

राज बोरेंद्र सिंह : उन को पूरा मौका दिया और आप को भी। पब्लिक प्रोपीनियन हम जानना चाहते थे।

सभापति महोदय : लेकिन व्यापारियों ने आप की अपील को एकदम अनसुना कर दिया।

राज बोरेंद्र सिंह : बिल्कुल।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। आप का स्वयं का सम्बन्ध वनस्पति तेल में है। इससे आप का सीधा सम्बन्ध है। क्या आप हम को बतायेंगे जिस फार्मूले को आधार बना कर तेल आयातित किया जाता है, किस परसेण्टेज में वह तेल आप उन को देते हैं और उस की कीमत कितनी होनी चाहिए। टैरिफ कमीशन के फार्मूले के अनुसार देते हैं या कोई दूसरा फार्मूला आप के पास आ गया है, जिस के आधार पर आप प्राइस

निश्चित करते हैं। समाचार-पत्रों में हम ने पढ़ा है कि सरकार ने 190 रुपये पर टिन प्राइस फिक्स की है।

राव बोरेंद्र सिंह : 192 रुपये प्रति टिन।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : 192 रुपये प्रति टिन एक्सक्लूडिंग सैल्स टैक्स। यह आप ने वालंटरी प्राइस निश्चित की है। मैं जानना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के कौन से हिस्से में आज इस कीमत पर वनस्पति तेल मिल रहा है, हिन्दुस्तान के और कौनों को आप छोड़िए, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहाँ भी आज खुला वनस्पति नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय : अब आप खत्म कीजिए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मेरी मान्यता है कि किसी चीज को एचीव करने के लिए संकल्प चाहिए। जब तक संकल्प नहीं होगा, चाहे आप जितने कानून बना लें, उन से देश का भला होने वाला नहीं है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने इस में कहा है कि यह एक टेम्पोरेरी मेजर है। ये बिल जो आप ला रहे हैं, सेंशियल कोमोडिटीज में जो आप ने स्पेशल प्रोविजन किये हैं, इन को आप ने टेम्पोरेरी क्यों क्यों रखा है। भाई? यह अहंता आप किस पर कर रहे हैं। क्या आप यह अहंता व्यापारियों पर कर रहे हैं। अगर आप यह मानते हैं कि ऐसा प्रावधान होना आवश्यक है, तो फिर टेम्पोरेरी क्यों रखा है। क्या आप समझते हैं कि पांच साल के अन्दर ब्लैक-मार्केटिंग या होडिंग जैसी चीजें समाप्त हो जाएंगी। क्या आप समझते हैं कि व्यापारियों की कालाबाजारी या होडिंग

की प्रवृत्ति को आप खत्म कर देंगे, इस समय के अन्दर।

राव बोरेंद्र सिंह : हम उम्मीद कर रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह अपने आप में सरकार की कमजोरी है।

MR. CHAIRMAN: Hoping against hope.

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जैसा परलेकर साहब ने कहा है कि जो कनफिक्शन का प्रावधान आप ने किया है, उस का मैं स्वागत करता हूँ लेकिन आक्शन की जो बात कही गई है, उस के मैं खिलाफ हूँ। आपने अपने इस कानून में अब यह प्रावधान किया है कि माल को कनफिक्टेड किया जाए और अभी तक जो यह प्रावधान था कि उस को आक्शन के द्वारा बेचा जाए, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप ने जो यह कहा है कि एक प्राइस फिक्स करने के बाद इस को बेच दिया जाए, यह सही है क्योंकि पहले आपस में व्यापारी मिल जाते थे और जो माल सौज किया होता था, उस को ले लेते थे। इस प्रावधान का मैं स्वागत करता हूँ लेकिन आप ने जो यह प्रावधान किया है कि स्टेट आथोरिटीज को ही अप्रैलेट आथोरिटी बनाया जाए, उस का मैं विरोध करता हूँ और मेरी समझ में यह बात ठीक नहीं होगी। मेरा मान्यता तो यह है कि इन दोनों बिलों को देखने के बाद ऐसा जगना है कि इस सरकार का न्यायपालिका में, न्याय की पद्धति में कोई विश्वास नहीं रहा है। मैं यह समझता हूँ कि इन दोनों बिलों में जो ये प्रावधान लाए गये हैं, वे न्यायपालिका का अपमान है। मेरा कहना यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के बजाय किसी जूडीशियल आथोरिटी को अप्रैलेट आथोरिटी रखिए और कनफिक्शन का जो प्रावधान किया है, उस का मैं स्वागत करता हूँ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । अब आप समाप्त कीजिए पाच मिनट में ।

You have already taken fifteen minutes. Eight minutes were allotted.

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL:  
I am summing up, Sir

मैं बिल पर ही आ रहा हूँ ।  
(ब्यवधान) . . .

सभापति महोदय में ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल . बेलिएबिल को जो नाम-बेलिएबिल बनाया है और तीन महीने की सजा रखी है, उस का मैं स्वागत करता हूँ लेकिन इस में मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हम ने चोर और डकैत को और छेड़छाड़ करने वाले को, इन तीनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया, तो मेरे बाल से यह न्याय नहीं होगा यानी डिस्प्ले आफ प्राइस लिस्ट एक अपराध है और जिस ने ब्लैक किया है, होर्डिंग की है या माल दबाए बैठा हो, वह एक अपराध है अगर इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखेगे, तो यह न्यायोचित नहीं होगा । इस इशू पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और सलेक्ट कमेटी को इस बिना का रफर करना चाहिए ।

अन्त में समरी ट्रायल के लिए ज। इस में कहा गया है, उस के बारे में भाटिया साहब ने भी काफी कह दिया है और अगर मैं उस के बारे में सब कुछ बताने लगा, तो उस में बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस में कोई नई बात नहीं है । अगर मैं पुराने एक्ट को पढ़ दूँ उसमें समरी ट्रायल है । कम से कम आपकी जो खाने-पीने की चीज है, इन के

जितने भी केसिज है, उनमें समरी ट्रायल होता है । यह समरी ट्रायल कोई नया प्रावधान नहीं है, यह तो वही का वही प्रोविजन है ।

स्पेशल कोर्ट का जो प्रोविजन आप ले कर आये है, स्पेशल कोर्ट आ- जितनी बना सकते है उतनी बनाइये । लेकिन उन स्पेशल कोर्ट्स को समरी ट्रायल मत कहिये । इन स्पेशल कोर्ट्स में ग्रेशंसल कमोडिटीज एक्ट या दूसरे जो एक्ट है उनके अन्तर्गत इकोनोमिक ऑफोसिज के केसिज का ही ट्राइल होगा और यह ट्रायल डे टू डे बेसिस पर चलेगा । इस में आप ने मेक्सिमम पनिसमेंट दो साल का रखा है । सभापति जी आप जानते है कि समरी ट्रायल में एका जज या मजिस्ट्रेट जो बयान लिखता है वह उसका सबटेश लिखता है और जो जजमेंट देता है उसका भी सबटेश देता है । आपने मुलजिम को दो साल की मेक्सिमम सजा का प्रावधान किया है लेकिन समरी ट्रायल में जज किसी भी ब्लेक मार्किटियर्स या होर्डर्स को मेक्सिमम दो या तीन महीने की सजा दे कर छोड देगा । मेरा सुझाव यह है कि आप इस में स्पेशल कोर्ट अरु रखिए । आप अधिक से अधिक स्पेशल कोर्ट बनाइये । समरी ट्रायल से आपका परपज सर्व होने वाला नहीं है ।

इस में स्पेशल जज की नियुक्ति के बारे में आप ने लिखा है कि जो लायक हो सकते है उनको बनाया जायेगा । मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है । अगर जो लोग अनएम्प्लोएड है उनको नानरी देने की बात आपने सोची है, बार के अन्दर बहुत से ऐसे लोग बैठे है जिनकी वकालत नहीं चलती है, अगर उनको स्पेशल कोर्ट का या हार्स कोर्ट का जज बनाना है तब तो बात दूसरी है बरना यह जो क्लाज आपने रखी है कि जो ब्यक्ति हार्स कोर्ट का जज बनने लायक होगा, ठीक नहीं है ।

इस सेकिंड बिल प्रिवेंशन आफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेण्टीनेंस आफ सप्लाइज आफ अशॉशल कर्मांडिटीज अमेण्डमेंट बिल में जहां जहां भी जुडिशियल अथारिटी आया है उसकी जगह पर आपने गवर्नमेंट रखा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह उचित नहीं है। जहां पर कि जुडिशियल अथारिटी को जरूरत है वहां पर आप उसकी कन्सेण्ट से ही इस काम को करिए। आपने जो इस प्रकार का प्रावधान किया है वह काफी नहीं है। आप ऐसा प्रोविजन क्यों चाहते हैं? जहां आपको जज की राय लेनी चाहिए, वहां उसकी राय ली जानी चाहिए। अपोइंटमेंट के लिए जज से नहीं पूछा जाए और स्वयं गवर्नमेंट अपोइंटमेंट कर दे तो मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है।  
(व्यवधान) आप को इस व्यवस्था को वापस लेना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहा हूँ कि जब तक यह सकल्प नहीं होगा, कि हमें किसी काम को करना है उसमें चाहे किसी का वोट जारा हो या किसी का वोट रहता हो तब तक मैं समझता हूँ कुछ नहीं होगा।

SHRI K. T. KOSALRAM (Tiruchendur): Mr. Chairman, Sir, I welcome the Essential Commodities (Special Provisions) Bill, 1981 and the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities (Amendment) Bill, 1981 moved by my hon. friend

Sir, my hon. friend, Shri Parulekar opposed the non-bailable section severe punishment etc. Though I demand more stringent punishment like even death by hanging for the hoarders and black marketers of essential commodities, who are committing crimes against the society and the nation, the Government may find it difficult to go that far.

We have enough essential commodities but we have not got effective

public distribution system. In 1976 our Government had formulated and implemented the public distribution system for fourteen essential commodities. The price tags on all the essential commodities were to be compulsorily put up. This enabled the people to know the prices prevailing in different parts for the same essential commodities. Price variation was avoided in this manner. The Janata Government gave up these things. Now, the scheme of public distribution should be reintroduced. It is going to be an Act. But, implementation is the question. If the State Government is not implementing it, you must be very careful about that. It is a major thing in this Bill.

Unless the prices of essential commodities are controlled, no public distribution system can be effective. now even in fair price shops there is no uniform price for the essential commodities. There is no checking also of the prices charged by the fair price shops. Naturally, this leads to widespread corruption. The primary step to be taken by the Government is that prices of essential commodities should be fixed and imposed if necessary even with statutory support. Then only we will be able to help the poor people of the country. The Planning Commission has accepted that 40 per cent of our population is living below the poverty line. The Government knows that the earning per day of such people is just 75 paise. How do we expect them to buy essential commodities for their living at the prices which change hour by hour. Soaring prices of essential commodities are the breeding ground for all corrupt practices.

I say this from my personal experience. I took it up with the Tamil Nadu Civil Supplies Corporation that the Agencies of Civil Supplies Corporation to whom they give kerosene and sugar sell the kerosene drums and sugar bags in the blackmarket.

[Shri K. T. Kosairam]

The Corporation did find that some retailers were doing this. In spite of my repeated demand that these offenders should be prosecuted no action has been taken by the Government of Tamil Nadu to prosecute them. The Corporation has neither the power nor the staff to undertake prosecution. I suggest that the Panchayat Commissioners, Tehsildars and the Police officials above the level of Sub-Inspectors must be empowered to launch prosecution as soon as such offenders are caught. I would even demand capital punishment provision in the law which will prove a real threat for these anti-social and anti-national elements.

Sir, I was referring to the soaring prices which prove an incentive for blackmarketing. Similarly, in the case of cement even the manufacturers are not above this blame. They are in league with the stockists and cement is sold in blackmarket even at the factory level. The Regional Cement Controller must be empowered to have a check on the production of cement. The Tehsildars, Panchayat Commissioners and the Industries Department officials are authorised to issue cement permits. I have been suggesting for a long time that there should be a check to ensure that the cement procured under specific permits is used for that specific purpose. In the absence of such a check, cement is being sold in the market now at more than Rs. 80 per bag. A system of such a scrutiny must be evolved and those who are found not using the cement for the purpose for which they got it through permit must be prosecuted and deterrent punishment should be awarded.

Sir, I demand that the State Governments which do not implement the Essential Commodities Act effectively must be taken to task. Though the Centre supplies wheat to Tamil Nadu,

the Tamil Nadu Government is always telling the people that the Centre is not supplying the required quantity of wheat to the State.

Similarly, the foodgrains supplied under the Food-for-work programme are also not being properly distributed to the workers. There is widespread rumour that the foodgrains are being given to the party cadre. These things must be looked into by the Centre.

Unless the Government of India evolves a price control mechanism, at least for the essential commodities, it will not be possible to successfully implement any distribution system.

For example, frequently the tyre manufacturers are allowed to increase the prices of tyres. It has a chain reaction resulting ultimately in the increase in the prices of essential commodities. If petrol and diesel prices are increased, it is reflected in the price increase of vegetables and other essential commodities because transportation cost increases. How do you break this vicious circle and ensure a stability in prices of essential commodities? The hon. Minister must think over these matters seriously, and formulate concrete steps to control prices of essential commodities and also for effectively distributing them. Thank you.

आचार्य भगवान देव (ग्रजमेर) :  
सभापति जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने चोर बाजारी, संग्रहखोरी, मुनाफाखोरी को रोकने के सम्बन्ध में जो विधेयक पेश किया है मैं उस का तहेदिल से समर्थन करता हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के जिस पार्टी का सम्बन्ध व्यापारियों से कैसा है यह सारी दुनिया जानती है और यही कारण है कि शहर में उन की थोड़ी बहुत दाल गल जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उन की दाल नहीं गलती क्योंकि गरीब मजदूर किसानों के साथ उस पार्टी

का कोई सम्बन्ध नहीं है, व्यापारियों के पैसों के आधार पर अपनी दुकानदारी चलाते रहे, उस पार्टी के सदस्य श्री कृष्ण कुमार गोयल जी ने कहा कि इस विवेक का हम स्वागत करते हैं, लेकिन, और जब लेकिन था परन्तु लगता है तो ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में कुछ तिनका है। लेकिन और परन्तु क्या लभाया जाय ? चोर तो चोर है, उस को पकड़ना चाहिये। पर लेकिन और परन्तु सम्बन्ध रखता है व्यापारियों से। अब कहते हैं कि मंहगाई इतनी बढ़ गई। क्या गत वर्ष जब लोक सभा के चुनाव हुए थे उस समय जनता क्या भूल गई कि चीनी को इन लोगों ने चौपट कर दिया, गेहूँ को गुम कर दिया था और पेट्रोल को इन्होंने पें लिया। और जितने भी चोर थे पहले नम्बर के, चम्बल तक के डाकू, उन को एक ही दिन अथप्रकाश नारायण के सामने खड़ा कर के कह दिया यह तो गांधीवादी है, उन को सर्टिफिकेट दे दिया और वे साधू बन गए। जितने चोर थे उनको तो उन्होंने साधू बना दिया, और उनसे मिल जुल कर के सारी अर्थ-व्यवस्था को इन्होंने बरबाद कर दिया। यह भेड़क टोली की जो सरकार थी, जनता पार्टी, जिन का सिद्धान्तहीन गठबन्धन हुआ, उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। कहां जनता पार्टी, जो अब तक तीन रूप बदल चुके हैं, पहले जनसंघ पार्टी कहलाती थी। कहां जनसंघ मार्क्सवादी, कहां जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की जब बात सामने आती है तो इनके चेहरे आइने में मामने नजर आते हैं अगर यह अपना चेहरा देखें तो। कोई भूल सकता है प्याज को जो कि गरीब आदमी खाता है। उत्पत्ति से ले कर आज तक प्याज क्या कर्मी 5 रुपये किलो बिकी ? लेकिन इन के जमाने में वह बिकी जिस को गरीब आदमी रूखी रोटी के साथ खाता है। यह इन लोगों की बदौलत हुआ। और भी इन्होंने बरबाद किया, अगर सभी बातों की पोल खोलू तो उस के लिये काफी समय चाहिये।

सभापति महोदय : बरबाद खाने वालों को किया था प्याज को किया ?

भाचार्य भगवान देव : सभापति जी, अगर मैं पोल खोलूंगा तो लम्बा भाषण चला जायगा। मैं तो मुख्य मुख्य बातें कहना चाहता हूँ क्योंकि आप ने थोड़ा समय दिया है।

जिस समय लोक-सभा का चुनाव हुआ, क्या आप, मैं और इस देश की जनता भुला सकती है कि पेट्रोल पम्पों पर बहुत बड़ी लम्बी लाइनें लगी हुई थीं और चुनाव में जीतने के बाद जब विधान-सभा के चुनाव होने वाले थे, उस बीच के काल में भारत सरकार ने, हमारे केन्द्रीय मंत्रियों ने प्रांतीय सरकारों के लिये तमाम साधन जुटाये और उस समय प्रांतीय सरकारें विरोधी पार्टियों के हाथों में थीं, चुनाव हुए नहीं थे। उन सरकारों ने सारा पेट्रोल उन लोगों के हाथों में दिया। चीनी, गेहूँ, स्टील तमाम प्रकार के पदार्थ जिन नागरिकों को दिये जाने चाहिये थे, उन को न दे कर पीछे के दरवाजे से चोर बाजारी में बेचकर गांव गांव में यह प्रचार किया। ये हमारे खाकी निककर वाले, नागपुरी संतरे में इन को कहा करता हूँ, कबड्डी खेलने वाले।

अभी पीछे अटल बिहारी बाजपेयी जी ने डीजल के सम्बन्ध में हमारे माननीय मंत्री से प्रश्नोत्तर काल में पूछा कि कैसे हो गया ? आज अटल बिहारी बाजपेयी जिन के सम्बन्ध में हमारे पार्टी के लोगों ने आपत्ति उठाई, एक विरोधी पार्टी का जवाबदार व्यक्ति अमरीका गया इन दिनों में, क्यों गया ? मुझे सूचना मिली है कि वहां इंटरनेशनल दीनदयाल उपाध्याय केन्द्र बना हुआ है और \*\*अटल बिहारी जी वहां गये।

एक बात मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूँ कि उस इंटरनेशनल दीन दयाल



[आचार्य भगवान देव]

उपाध्याय केन्द्र के मंत्री \*\* हिन्दुस्तान समाचार एजेंसी के वहाँ पर एजेंट भी बन हुए है। जिस हिन्दुस्तान समाचार एजेंसी का भारत सरकार आर्थिक मदद देती है और वह मदद ले कर के वहाँ पर इस प्रकार का कार्य कर रहे है भारत सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जिस सरकार के साधनों से सरकार के खिलाफ काम हो रहा हो,

सभापति महोदय : आचार्य भगवान देव जी, . . . .

आचार्य भगवान देव : मैं सरकार से चाहता हूँ कि जांच करे। मेरा चेलेंज है कि इस प्रकार का संगठन वहाँ पर है और वह कार्य कर रहा है। वह व्यक्ति हिन्दुस्तान समाचार समिति का प्रतिनिधि भी है। मेरा आरोप है, आप इस की जांच कीजिये।

सभापति महोदय : मेरी बात सुनिये। किसी माननीय सदस्य के खिलाफ इस तरह के आरोप आप तभी लगावें जब कि अध्यक्ष या जी कोई यहाँ पर बैठा हो, उसे आप सन्तुष्ट कर दें, यदि इस के प्रमाण हैं आप के पास, नहीं तो यह करैक्टर एसेसीनेशन . . . .

आचार्य भगवान देव : सभापति महोदय, यह तो मैं साबित करने के लिये तैयार हूँ कि हिन्दुस्तान समाचार समिति का प्रतिनिधि वहाँ पर दीन दयाल उपाध्याय केन्द्र का सेक्रेटरी है \*\*

सभापति महोदय : आप शांत रहिये। आप क्यों नहीं मेरी बात सुनते हैं। मैं आप को इतना ही मना करता हूँ, जिस का प्रमाण हो, . . . उतना ही कहिये।

आचार्य भगवान देव : मैं ने जो आरोप किया है, वहाँ पर जिस व्यक्ति के लिये किया है,

वह स्पष्टीकरण दे सकते है। मेरा यह चेलेंज है।

SHRI N. K. SHEJWALKAR (Gwalior): Sir, I have a point of order.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please see Rule No. 353 of the Rules of Procedure. I will read it out for your benefit.

"353. No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply".

सभापति महोदय : मैं आप पर इतना ही बंधन डालना चाहता हूँ।

आचार्य भगवान देव : इस देश में और वहाँ चोर बैठे है—

बिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से।

यह घर के चिराग घर को आग लगा रहे है, काबे में कुफ कर रहे है।

सभापति महोदय : आप कृपया नाम न लें।

श्री सत्यनारायण जाटिया (उज्जैन) : दूसरे के खिलाफ एलिंगशन लगाया गया है।

सभापति महोदय : आप कृपया नाम न लें।

आचार्य भगवान देव : मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बात कह रहा हूँ।

(उपस्थान)

सभापति महोदय: आप जरा बैठ जाइये, जब अध्यक्ष खड़े हों तो कृपया बैठने की आज्ञा त डालिये।

आप जिस तरह से आक्षेप कर रहे हैं, अगर वह सिलसिला चलता रहा, तो फिर उससे कोई अछूता नहीं रहेगा और परिपाटी एक दम विगड जाएगी। इसलिए मैं आप से कहना हूँ कि आम तौर पर तो आप कह सकते हैं, लेकिन नाम न लीजिये।

SHRI N K SHEJWALKAR That should be expunged

MR. CHAIRMAN. I may point it out to you that I was the first person to take it up; I will go through the record and do the needful.

आचार्य जगदानंद देव इस बिल में चोरों को पकड़ने की बात है, लेकिन हमारे देश में साधु के बेश में सैतान भी बैठे हैं, देश शक्ति का चोगा पहन कर चोर-बाजारी को प्रोत्साहन देने वाले भी बैठे हैं। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि वास्तविकता क्या है, किस प्रकार से चोर-बाजारी को प्रोत्साहन मिल रहा है।

मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी चोर चंबल के डाकू और स्मगलर थे, उन लोगों को छोड़ कर इन्होंने चोर-बाजारी को प्रोत्साहन दिया। इसीलिए चोर-बाजारी बढ़ी है। गत वर्ष चीनी, गेहूँ और दूसरे पदार्थों के भावों की क्या स्थिति थी? इन लोगों के कारण चीनी बारह, चौदह रुपए किलो बिक रही थी, मगर आज वह छः रुपए किलो पर पहुंच गई है, क्योंकि दामों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। (अध्वधान)

सभापति महोदय : विचार-विमर्श को चलने दीजिये।

आचार्य जगदानंद देव : यह परेशानी इसीलिए हो रही है कि जैसा कि मैंने पहले कहा है, चोर की बाड़ी में तिनका है। ये सब इसलिए परेशान हो रहे हैं कि सौबेबाजी पर आंच आ रही है। इसलिए इन को बड़ी परेशानी महसूस हो रही है।

मैं एक बात मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं और इन खाकी गिरकर वालों ने योजना बनाई है कि चुनाव से पहले डबल-गोटों को गुम किया जाए, सर्व-साधारण पर उसका प्रभाव पड़ेगा। चीनी दो गुम किया जाए, मदर डगी का जो दूध बिराहा है, उसको खरीद कर उसका मावा बना दिया जाए, चाबि लंगो को दूध में मिलने पाए। ये लोग इस तरह का कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास करने वाले हैं, वे संकेत हमको मिले हैं। मेरा उन पर यह आक्षेप है। मंत्री महोदय को हम सम्बन्ध में जाग्रत रहना हूँ।

कानन तो पहले भी लाया गया था और अब भी लाया गया है। हम रोज पेपर में पढ़ते हैं। अगर पेपर पढ़ने की इजाजत हो, तो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। हमारा गृह विभाग और हमारी पुलिस, जहाँ भी उनको पना चलता है, वे उन चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह काम योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है, ताकि किसी को कोई शिकायत न रहे। मंत्री महोदय ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम इस बारे में बैठ कर प्रेम से बात करें। उन्होंने व्यापारियों से साथ बात की है और उनकी बानों का मुना है। उन्होंने सब दलों से अपील की है कि वे कोई स्वनात्मक सुझाव पेश करें। लेकिन कोई स्वनात्मक सुझाव वे पेश करते नहीं हैं और गाड़ी को पटरी से उतार कर बाहर चले जाते हैं। विशेषी पार्टियों का काम यहाँ रह गया है कि गाड़ी को पटरी से उतार कर बाहर चले जाना। आज उनकी दुकान का दिवाला निकला हुआ है। उनकी पार्टियों का कोई नेता इस बारे में विचार-विमर्श नहीं करता है कि देश की अर्थ-व्यवस्था को कैसे सुधारना है। आज उनकी गैर-हाज़िरी क्या बताती है? — यह साबित करती है कि चोर-बाजारी को रोकने के सम्बन्ध में उनके इरादे क्या हैं, वे उसको रोकना चाहते हैं या नहीं।

[श्री आर्चाय भगवान देव]

मैं मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूँ। पुलिस और अधिकारी अपना काम करेंगे, परन्तु यह एक इनामी योजना शुरू कर दें कि देश का जो नागरिक संग्रह किए हुए भंडार के बारे में सरकार को बताएगा, उसका इनाम इनाम दिया जायेगा। इससे बेरोजगार घूमने वाले नौजवान और दूसरे गरीब व्यक्ति यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि कहाँ-कहाँ चोग-बाजारी का भंडार भरा हुआ है। उससे आपको माल सरलता से मिलेगा। चोगों का भी पता लगेगा और जो माल संग्रह कर के लोग रखे हुए हैं उस का भी पता लगेगा। उसके पीछे किस का सम्बन्ध है उस की भी पोल खुल जायेगी। तो इनामी योजना, सार्वजनिक लोगों को इनाम देने की योजना माननीय मंत्री जी शुरू कर दें, फिर आप देखेंगे कि देश के दीवाने नौजवान गली गली में जा कर किन तरह उन के गोदामों के ताले खुलवाते हैं और उन के काले कारनामों को जाहिर करने का प्रयास करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है, उस का हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद

श्री श्रीगोत्र शः (मधुवनी) : सभापति महोदय, यह जो विधेयक सामने है जो देश की हालत है, आवश्यक दस्तुओं के मामले में जो संकट देश के जनगण के सामने है, उपभोक्ताओं के सामने है, दस्तुओं की उपलब्धि के बीच उा का अभाव पैदा हो जाना और उनकी कृत्रिम महंगी का पैदा हो जाना, ऐस स्थिति में स्वभावतः सरकार की ओर से कुछ कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत होती है। मगर जो स्थिति है उस को देखते हुए और अभी जो मित्र सरकारी पक्ष के बोले है उनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद भी कलेजा कांपता है कि क्या यह

सरकार जो इस विधेयक का उद्देश्य है वह चाहती है? क्या यह सरकार इस को लागू करने का इरादा रखती है? मैं अभी नीयत पर शक करने जैसी कोई बात कहना नहीं चाहता, लेकिन वस्तुस्थिति वहाँ तक जाने को मजबूर करती है।

हमारे मित्र शासक दल के पिछली सरकार के बारे में बोले हैं। जो उन्होंने कहा है सही है। उस से ज्यादा कहना भी सही होगा। देश के लोग जानते हैं कि उस सरकार में भी अधिकांश वही लोग थे जो उस के पहले शासक दल के ही उसी कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे। इसलिए नीतियों के जरिए महंगी बढ़ाने में और चोर व्यापारियों को छूट देने में एक दूसरे से होड़ लेने में वे लगे हुए हैं कि कौन ज्यादा जनगण को लूटने में चोर-व्यापारियों को मदद करे। जनता पार्टी के रूप में या कांग्रेस (आई) के रूप में देश के पूँजीपतियों की अपनी पार्टी और अपनी सरकार है। दोनों के जरिए उन्हीं का काम हो रहा है।

अभी चीनी का जिक्र हुआ। जिस समय यह सरकार आई चुनाव के बाद, उस से पहले जनता पार्टी को सरकार ने चीनी की कीमत बढ़ाई और गन्ने की कीमत घटाई। कहा गया कि देश में चीनी ज्यादा हो गई इसलिए, गन्ना की कीमत बाई रुपए क्लिप कर दी गई है लेकिन चीनी की कीमत 2 रुपये 15 पैसे से बढ़ा कर 2 रुपये 30 पैसे किलो कर दी। फिर नियंत्रण हटा कर और फिर नियंत्रण लगा कर 2 रुपये 80 पैसे किलो और खुले बाजार में चार त्वा चार रुपये किलो चीनी की कीमत कर दी गई। तो गन्ने की कीमत घट. कर और चीनी की कीमत बढ़ा कर खुले अ.म जनता पार्टी की सरकार ने देश के लोगों से अपने काम के इरादायहक दिया कि किसान बूँक गन्ना पैदा करते :

इलसिए उस की कीमत घट जाय और करोड़-पति चूक चीनी मिलों के मालिक हैं, उसका मुनाफा करोड़पति लेते हैं इसलिए उनका मुनाफा बढ़ा दिया गया। इस प्रकार उन्होंने लोगों से यह कह दिया कि भाई मतवाताओं, यह करोड़पतियों के हुकम पर चलने वाली सरकार है।

जब नई सरकार आई प्रधान मंत्री जी ने जनता के सामने खुला एलान किया कि दाम को बाधूंगी। हम को बहुमत दीजिए। विशाल बहुमत मिला। वह बहुमत बनने वाले मित्त उधर बैठे हुए हैं और दाम बाधा गया। चीनी का दाम चार रुपये किलो था। ऐसा कस कर बाधा कि उसका दाम बढ़ा नहीं हुआ क्या? दाम कूदा कीमत ने छलाग मानी। चार रुपये से सवा चार पाँचे चार से पाच रुपये किलो कीमत नहीं हुई, 8 रुपये, 10 रुपये और कहीं कहीं 12 रु० किलो हो गई और इस तरह से हम नई सरकार ने नये रूप से करोड़पतियों से कह दिया कि ज्यादा भारगर तरीके से तुम्हारी सेवा काप्रेस (भाई) कर सकती है और कर रही है।

यहा पर गल्ले का जित्त आया। सरकार का दावा है कि देश में गल्ले का उत्पादन ज्यादा हुआ है। हमारे कृषि मंत्री जी खास कर इस इलाके से यहा आते हैं जहा के किसानो ने मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने में अगली कतार में अपनी जगह बना ली है। किसानो का गल्ला बिक गया लेकिन सरकार के भण्डार में गल्ला नहीं आया, गल्ला बड़े बोक व्यापारियों के हाथ में चला गया या फिर गाव के जो कुछ बड़े बड़े कायत-कार हैं जोकि हुबन्दी से ज्यादा जमीन लिए हुए हैं, उनके हाथ में बाकी रहो। इसलिए हमें मजबूर हो कर विश्व बाजार में गल्ला खरीदने के लिए जाना

पड रहा है। मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री जी इस बात की सफाई करेगे कि उस गल्ले की जो कीमत हमारे मुल्क में आने पर पड़ेगी उस में और हमारे उगाही मूल्य में क्या फर्क पड़ेगा? हम कितना लाभ में रहेंगे? क्या मूल्य बढ़ा कर उस गल्ले की उगाही में देश में ही हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते थे? क्या विदेशो से गेहूं मंगाए बगैर हमारा काम नहीं चल सकता था? आज सरकारी दल के लोगो को विचार कर यह कहने में बड़ी हिम्मत की जरूरत है कि वे चोरबाजारी के खिलाफ हैं क्योंकि जहा तक महगाई का सबन्ध है, पिछले साल के बजट के समय, 80-81 के बजट के समय, वित्त मंत्री जी ने कहा था कि कीमतें घटेगी लेकिन कीमतें बड़ी तेज रफ्तार से बड़ी। दोबारा मंत्री जी ने कुछ महिनो के बाद कहा कि कीमतें प्लेट्यू पर पहुच गई है, अब नीचे की ओर ही आयेगी लेकिन वह नीचे नहीं गिरी, उपर बढ गई उसके बाद फिर वित्त मंत्री जी ने कहा कि अब हद हो गई है, कीमतें गिरेगी लेकिन कीमतें फिर आगे बढी। इसके बाद इस प्रकार सरकार ने खुल्लम खुल्ला चोरबाजारियो को, तस्करो को और काला धन रखने वाली को छुट दे दी। जैसा कि अभी हमारे मित्त बोल रहे थे, उनकी भाषा में मैं बोलना चाहता हू कि चाहे चोरी का धन हो, चम्बल घाटी का धन ही, डाके या तस्करी का धन हो, सरकार हिसाब नहीं पूछेगी तुम बेपरर बाण्ड खरीद लो, इस तरह से तुम्हारा काला धन उजला हो जायेगा, नाजायज धन से जायज धन हो जायेगा। इस तरह इस सरकार ने इतना बडा विश्वासघात अपने मतवाताओ के साथ किया, अपने एलानो के साथ किया और अपनी प्रतिज्ञा के

[श्री भोगेन्द्र झा]

क साथ किया। दिनदहाड़े देश के काले धन को सफ़ेद करने के लिए इस सरकार ने एक ऐसा अनैतिक काम किया जिसको करने में किसी भी सरकार के साथ हाथ कांपने चाहिए थे और किसी भी बोलने वाले की जवान कांपनी चाहिए थी।

आज हमारे सामने जो विधेयक आया है उस में कई जगह कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जिक्र है। मैं कृषि मंत्री तथा इस पूरी सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर मेरे हाथ में है, इसकी जो नयी धारा 110 चली थी उसके लिए बनाई गई संयुक्त प्रवर समिति का मैं भी मेम्बर था। इस धारा को जोड़ को इस बात की व्यवस्था की गई थी कि एसेंशियल कमाडिटीज ऐक्ट, जिस में संशोधन करने के लिए हम आज विचार कर रहे हैं उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर 110-सी० आर० पी० सी० के मातहत कार्यवाही की जायेगी, अगर किसी अधिकाारी या मैजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो जाए कि उसका उल्लंघन वह कर रहा है। 1974 में यह कोड लागू हो गया था उसके बाद सात वर्ष बीत गये हैं, ढाई वर्ष जनता पार्टी के रूप में और बाकी साल कांग्रेस या कांग्रेस (आई) के रूप में पूंजीपतियों ने शासन किया। मैं जानना चाहूंगा कि सत्रह भारत-वर्ष में इस बीच क्या किसी एक भी थोक व्यापारी या व्यक्ति के खिलाफ प्रोसीडिंग चलवाई गई जिसने एसेंशियल कमाडिटीज ऐक्ट का उल्लंघन

16.00 hrs.

किया हो या उल्लंघन करने का प्रयास किया है। क्योंकि उस के लिए धारा 110 के अन्दर कार्यवाही करने की व्यवस्था नहीं थी। सारे भारत में एक भी मुकदमा कांग्रेस शासित राज्य में, यूनियन टेरिटरी में, किसी भी राज्य में एक भी मुकदमा इन सात वर्षों में नहीं किया गया। 110 की उपधारा-एच० (ई) एसेंशियल कमाडिटीज ऐक्ट के उल्लंघन करने वाले पर कार्यवाही चलेगी। इस तरह यह पूरा कानून जिसके मुताबिक सारे भारत में सभी दंड के लिए प्रक्रिया सन्निहित है, उस में आर्थिक दंड के लिए प्रावधान किया, 1974 के ऐक्ट में यह शक्ति भारत सरकार को दी, राज्य सरकारों को इस पर कार्यवाही करने के लिए दी गई। लगातार देश में मंहगाई बढ़ती गई, लगातार कानून का उल्लंघन होता गया और उपभोक्ता तबाह होता चला गया लेकिन एक भी चोर-व्यापारी एक भी थोक व्यापारी पर सी० आर० पी० सी० की धारा-110 के मातहत कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसका परिणाम क्या हुआ-सजा हो या न हो; लेकिन विशेष प्रावधान की आवश्यकता है या नहीं है, यह बाद की बात है। इसलिए मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि क्या देश बिश्वास करेगा कि आप को सत्य की कमी थी, इसलिए आपने नहीं किया।

सभापति महोदय : श्री झा, आपको कम से कम कितना और समय लगेगा ?

श्री भोगेन्द्र झा : आप जो सीमा देंगे, मैं उस में खत्म करना चाहूंगा।

सभापति महोदय : आप तीन-चार मिनट और ले लीजिए।

श्री जोगेन्द्र झा : इसलिए जो कानून आपके हाथ में है, उसका अपवाद के लिए भी एक बार भी आपने उपयोग नहीं किया, आज तक भी नहीं किया। मैं समझ रहा हूँ कि आप गृह मंत्रालय से मसाला लेकर जबाब देने का प्रयास करेंगे। अगर एक भी प्रोसीडिंग नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई। क्या आप देश के सामने कबूल करेंगे कि आज तक एक भी व्यक्ति ने निधम का उल्लंघन नहीं किया और अगर नहीं किया तो आज इस मंशोधन की आवश्यकता कैसे आ पड़ी। एक नया कानून लेकर, संसद का समय खर्च करके आप पर कैसे भरोसा किया जाए कि आप इसका उपयोग करेंगे। इसलिए कम या अधिक का मामला नहीं है, पूरी तरह से भारत सरकार अपने कानून का उल्लंघन कर रही है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक नामलिहाना काबूबाही भी नहीं कर रही है।

इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि यह जो वृद्धि होती चली जा रही है, जो कुछ कानूनी शक्ति आप ले रहे हैं और जैसा कि हमारे कुछ मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी और दूसरे मित्रों ने जो कहा, उसका खण्डन करने की हालत में मैं नहीं हूँ, हो सकता है कि उसमें बहुत सी बातें सही हो, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि क्या यह शक्ति लेकर के आप खुद निर्दोष व्यापारियों को तबाह करने के लिए साधन तो लेना नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ चोरी के माल को खुली छूट दे रहे हैं, काले धन को उजला धन बनाने के लिए एलान करते हैं, कानून बनाते हैं और व्यापारियों के खिलाफ सी० आर० पी० सी० की धारा 110 के तहत कार्यवाही नहीं करते हैं, तो यह कैसे विश्वास किया जाए कि आप भारत के

व्यापारियों के खिलाफ इसका उपयोग करेंगे। आप भारत के व्यापारियों से उसी दिल्ली के चुनाव के लिए धन तो नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक इसी मीके पर। बड़े से धन लेकर उनको छूट देकर क्या खूबरा वालों को तबाह करने तो नहीं जा रहे हैं। जो अनुभव अब तक का है जो रिश्वत न दे सकें वे तबाह हों, जो मोटी रकम आपको चन्दे में न दे सके वे तबाह हो और जो कुछ उपभोक्ता हैं, वे तबाह हों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जैसा कि प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति व्यापार के लिए नहीं—बड़ी, रियायत की गई है—मुनाफे के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए अगर कोई सामान खरीदे और हमें पता लगे कि कानून का उल्लंघन करके उसने खरीदा है—मतलब कि घर में कोई मर रहा हो बच्चा बीमार हो तो चीनी खरीदी है और उसका उल्लंघन करके उसके खरीदना पडा है तो ऐसी हालत में उसके जेल नहीं किया, मंत्री जी बड़ी दया करेंगे सिर्फ उस पर जुर्माना होगा। बिना पर? उपभोक्ता पर—यह स्थिति है।

इसलिए, सभापति जी, मैं कहना चाहता हूँ कि देश को आशंका है, हमें भी आशंका है कि आप इस कानून का उपयोग बड़े को छूट दे कर और छोटे के खिलाफ इसका प्रयोग कर के करेंगे। मैं इस विधेयक का विरोध भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि देश के थोक व्यापारियों ने देश के 68 करोड़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन वह कब्जा किया था—आप की मदद से। एक भी थोक व्यापारी भारतभर में ऐसा नहीं है जो अपने धन से थोक व्यापार करता हो, सब बैंक से रुपया ले कर गल्ला खरीद कर बैंक के गोदाम में रखते हैं और सब माल गोदामों में चला जाता है। हमारे वित्त मंत्री महोदय एडम-स्मिथ, मासल से ले

## [श्री भोपेन्द झा]

कर केन्द्र तक चले जाते हैं, उनके अर्थ-शास्त्र के आधार पर, जो अर्थ-शास्त्र साबित हो चुका है, देश में अनर्थ किये जा रहे हैं माल गोदाम में बन्द हो गया, उपभोक्ता गोदाम में नहीं गया वह बाहर ही रहे गया और माल की कीमतें बढ़ने लगी, उस के बाद उस माल को गोदाम से बाहर निकाल कर उपभोक्ता को लूटा जा रहा है। इस तरह हमारी ही दिशासलाई से हमारे ही घर को प्राण लगाई जा रही है। हमारे पैसे से बैंक के पैसे से, थोक व्यापारी देश की जनता को लूट रहे हैं और आप लूटने दे रहे हैं, काले धन को बनने दे रहे हैं और दूसरी तरफ नये अधिकार मांग रहे हैं।

इस लिए हमें आशंका है, खाम कर खुदरा व्यापारियों के लिए आशंका है, उपभोक्ताओं के लिए आशंका है मगर इन सब खारों के बावजूद हम आप को यह अधिकार देना चाहते हैं ताकि आप उन थोक व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकें जो कोई उत्पादन नहीं करता है, बिना कुछ शिथे हुए मुनाफ़ा बटोरता है। इस लिए इस विधेयक का समर्थन तो कर रहा हूँ मगर जो आशंका है उस को भी जाहिर कर रहा हूँ। मैं सरकार से चाहूँगा कि कम से कम उपभोक्ताओं के खिलाफ किसी भी हालत में इस का इस्तेमाल न हो, खुदरा लोगों को इस से बचाया जाये, देश में जो करोड़ों खुदरा बुकानदार हैं उन पर चोट न पड़ने पाये, जो देश के थोक व्यापारी हैं, जो बड़े लूटने वाले लोग हैं उन पर इस का प्रहार हो और इस दिशा में जो संशोधन दिये गये हैं उन को भी आप स्वीकार करें।

हमारे एक माननीय सदस्य ने एक इनामी गोजना का सुझाव दिया है—मैं

समझता हूँ जन-सहयोग लेने का रास्ता जरूर निकालना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ऐसे लोगों को थोक-व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के हाथों थोड़ा दण्डित होना पड़ेगा, फिर भी प्रोत्साहन का प्रावधान इस विधेयक में अवश्य होना चाहिए।

श्री जंनुल बसर (गाजीपुर) : माननीय सभापति जी, मैं इन बिलों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक सरकार की इस मंशा का तात्पर्य है कि ब्लैक-मार्केटिंग को प्रभावी ढंग से रोका जाय और आवश्यक वस्तुओं उपभोक्ताओं तक पहुँचाई जा सकें, इस मंशा को पूरा करने में जितना भी सहयोग इस माननीय सदन से वह चाहेंगे, उन को अवश्य मिलेगा।

सभापति जी, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ बातें अर्ज करनी हैं। इस मामले में कई कानून पहले भी बनाये जा चुके हैं, इस समय भी बना रहे हैं और प्रागे भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने की जो एजेंसी है वह हमारे पास नहीं है। कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों की मशीनरी के द्वारा, उन की एजेंसी के द्वारा होना है दुःख के साथ हम यह कहना चाहते हैं कि इन का इम्प्लीमेंटेशन और विशेषकर इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन आधे दिल से किया जा रहा है। मायद रिकार्ड की खाना-पूरी के लिए ऐसा किया जा रहा है और वाकई में ब्लैक-मार्केटिंग को रोकने के लिए इन का इम्प्लीमेंटेशन बहुत प्रभावी ढंग, बहुत इफेक्टिव तरीके से नहीं हो रहा है। जितने भी क्लेज इस कानून के अन्दर सामने आए हैं और जो भी कार्यवाही की गई है, उस को अगर हम गौर से देखें, तो हम को यह मिलेगा कि, जैसा कि अभी उधर से बोलने वाले सदस्य कह रहे थे, बड़े-बड़े मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ, बड़े बड़े ब्लैक-

मार्केटिंग के खिलाफ, जो लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर धोका दे रहे हैं, उन से पैसा ऐंठ रहे हैं, उन के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई बल्कि उन के खिलाफ कार्यवाही की गई, जिन के यहाँ बैंकिंग करने पर एक या दो टिन मिल गये या किसी ने प्राइम लिस्ट में नहीं की थी या कोई टेक्निकल खामी उन के रजिस्टर में थी या उनके स्टॉक में मिल गई थी, जिस से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। जिन लोगों ने गाली दी, उन के खिलाफ कार्यवाही की है लेकिन जिन्होंने कसल किया है, उन के खिलाफ कार्यवाही बहुत कम हुई है। तो सब से बड़ा सवाल यह है कि आप कानून से चाहे जितनी ताकत ले लें, जितने भी अधिकार आप चाहे प्राप्त कर लें, लेकिन उन का उपयोग ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। आज जो हमारी मंशा है, जो हमारी सरकार की मंशा है और इस माननीय सदन की मंशा है कि ब्लैक-मार्केटिंग को प्रभावी ढंग से रोका जाए, वह रुक पा रही है या नहीं रुक पा रही है, यह सब से बड़ा सवाल है। इसलिए मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए, कोई ऐसा हल ढूँढा जाए, जिस के जरिए इस कानून को लागू करने में केन्द्रीय सरकार का हाथ हो, कोई बैंकिंग का माध्यम हो। किस प्रकार का कोई माध्यम हो, उसका कोई नक्सा मेरे सामने नहीं है। मैं सरकार से इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ, मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कोई ऐसा तरीका जरूर निकाला जाए, जिस के जरिए राज्य सरकारों पर कोई अंकुश हो और राज्य सरकार यह काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उन को देखभाल भी हो। मुझे याद है कि जब यह कानून पास हुआ था तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने, केरल की सरकार ने और कई सरकारों ने,

जो हमारी पार्टी की नहीं थी, उन्होंने कहा था कि हम इस कानून को लागू नहीं करेगे। अगर वे इस कानून को लागू नहीं करती हैं, तो आप क्या करेंगे? आप के पास कोई अधिकार है कि इन कानूनों को आप लागू करावेंगे, इस के बारे में आप ने क्या सलाह है? जब मंत्री जी इस बहस का जवाब दें, तो वे इस बारे में बताएँ। जब प्राइम इण्डेक्स बढ़ता है, जब कीमतें बढ़ती हैं, तो किस की बदनामी होती है? राज्य सरकारें तो यह कह बेसी हैं कि कीमतें रोकना हमारे बस में नहीं है और कीमतें केन्द्रीय सरकार की नीतियों के कारण बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ें, तो उस के जिम्मेवार हम। कीमतें बढ़ने का जवाब हम को देना पड़ता है और उन को रोकने के लिए जब हम कोई कानून बनाते हैं, जब उन को रोकने के लिए कोई तरीका अपनाते हैं, तो राज्य सरकारें उसमें सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं और हम को पूरा सहयोग नहीं मिलता है और बदनामी हमारी होती है। तो इस के लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं। कानून में आप चाहे जितने अधिकार ले लीजिए लेकिन उन अधिकारों का अगर राज्य सरकारें उपयोग नहीं कर रही हैं, उन का ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही हैं, तो आप क्या करेंगे। इस के बारे में कुछ सोचिए, यह मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कितने प्रभावी ढंग से काम करनी चाहिए, उतने प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है। कई वर्षों से जबकि, हमारी सरकार थी, और उसके बाद जब कि जनता पार्टी के जमाने में एक बहुत ही सुयोग्य मंत्री श्री मोहन धारिया थे, के जमाने से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में सुना जा रहा है कि यह किया जाएगा, वह किया जाएगा लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। बहुत-सी बातें इस बीच



[श्री जेनुल बसर]

सामने आयीं लेकिन हम आज तक पूरे देश में एक पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम बनाने में असफल रहे हैं। सिस्टम तो क्या अभी तक हम उसका खाका भी नहीं बना सके हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात तो दूर रही, अभी तक पूरे देश के लिए हम एक खाका भी तैयार नहीं कर सके हैं। किसी प्रदेश में कोई खाका है, किसी में कोई खाका है। चूंकि अभी तक हम पूरे देश को एक ईकाई समझ कर इसका एक खाका नहीं दे सके हैं इसलिए जो जरूरी सामान है वह भी हम लोगों तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंचा पा रहे हैं।

हमारे उत्तर प्रदेश में यह महसूस किया गया कि प्राइवेट दुकानदार इसमें बेईमानी कर रहे हैं, जरूरी चीजों की ब्लैक कर रहे हैं, लोगों को सामान नहीं पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके हाथ से यह सिस्टम ले लिया और कोओपरेटिव को दे दिया। जितनी कोओपरेटिव थीं उनको दुकानदार बना दिया। वहां भी हम को सफलता नहीं मिल रही है। चीनी और दूसरे सामान अब भी लोगों को ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कोओपरेटिव में भी वही बात पैदा हो गई है। वही हालत हो रही है जैसी कि पहले थी। पना नहीं कोओपरेटिव के कानून खराब है या उन्हें ठीक ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। मंत्री जी को सोचना चाहिए कि इनमें कौन-सी खामियां हैं जिनसे कि हम पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को ठीक से काम करने लायक नहीं बना सके हैं। मंत्री जी इसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? मेरा तो धरना सुझाव जो कि मैं पहले भी दे चुका हूं कि हमें एक सिविल सप्लाइज कोरपोरेशन बनानी चाहिए जो कि पूरे देश के पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का काम अपने हाथ में ले। एक बहुत बड़ा संगठन, एक बहुत बड़ी मशीनरी बनानी पड़ेगी, इसमें दो राय नहीं हैं। लेकिन

हमें ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो कि जगह जगह पर सरकार की तरफ से दुकानें खोले और लोगों को सामान पहुंचाए। मैं मानता हूं कि यह कठिन काम है लेकिन मैं समझता हूं कि अगर पूरे देश को पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के लिए सिविल सप्लाइज कोरपोरेशन के जरिए से एक ईकाई के तहत ला सकते हैं और इस योजनाबद्ध तरीके से चला सकते हैं तो काफी खामियां और कमियां दूर की जा सकती हैं।

तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं . . . . .

सभापति महोदय : आखिरी सुझाव।

श्री जेनुल बसर : इसके बाद एक और सुझाव होगा।

एक सुझाव मैं मंत्री जी को यह देना चाहता हूं कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं जिन के जिम्मे इस कानून पर अमल की व्यवस्था है, अगर वे ठीक ढंग और प्रभावी ढंग से इस व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे तो यह व्यवस्था चलना मुश्किल होगी। अगर वे इसे प्रभावी ढंग से लागू करते हैं तो यह व्यवस्था चल सकती है लेकिन जब वे व्यापारियों के साथ मिल जाते हैं, जैसा कि हो रहा है तो उन के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस एक्ट के मुताबिक कार्यवाही हो सकती है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही हुई है या नहीं हुई है, मैं समझता हूं कि नहीं हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था है कि रेड करने वाली जीप बिना बताये जिले में जा कर रेड करती है और गलती करने वाले व्यापारी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। लेकिन उस जिले का जो कर्मचारी है, जो अफसर है उस के खिलाफ

कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि उन के खिलाफ कार्यवाही की जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मंत्री जी की तरफ से राज्य सरकारों को स्पष्ट आदेश जारी होने चाहिए कि वे ब्लैक मार्किटिंग करने वाले, होटिंग करने वाले लोगों से मिले हुए कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करें।

सभापति जी चौथा और आखिरी सुझाव देना चाहता हूँ जिसे हमारे माननीय दोस्त ने भी दिया है। सभापति महोदय, इस एक्ट के मुताबिक छोटा जुर्म करने वाले और बड़ा जुर्म करने वाले लोगों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है—जो गाली वे उसको भी वही सजा और जो कल करे उसको भी वही सजा—यह बात मुनासिब नहीं है। बहुत सी टैक्नीकल चीजें होती हैं—बहुत सी टैक्नीकल गलतियां होती हैं, जैसे रजिस्टर ठीक नहीं है, रजिस्टर में तारीख नहीं दी है, किसी की मूल्य-सूची गलत है या मूल्य-सूची प्रदर्शित नहीं की है या स्टॉक में एक-दो डिब्बे या टिन बताने की गलती हो गई है—दो-चार टिन का फर्क पड़ गया है, यह कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, उस के लिए भी वही सजा है जो बहुत ज्यादा स्टॉक किए हुए है, या पांज रुपए प्रति बोरी ब्लैक कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी वही सजा। मैं समझता हूँ कि इस को कैटेगरीज किया जाना चाहिए—छोटा जुर्म, बीच का जुर्म और बड़ा जुर्म, इसी तरह से सजा होनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ—वह यह है कि आज जो एंटी सोशल एलीमेंट्स हैं, जो गुण्डा एलीमेंट्स हैं—जब भी किसी चीज की कमी होती है तो वे व्यापारी को डरा-धमका कर, जान से मारने की धमकी दे कर माल उठा लाते हैं और उस को ब्लैक में बेचते हैं—व्यापारी को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, उसको कोई संरक्षण नहीं मिल पाता, पुलिस उस को

मदद नहीं देती और मजबूरन वह गुण्डा एलीमेंट्स को सामान दे देता है और किसी प्रकार से खाना पूर्ति करता है। मेरा निवेदन है कि इन के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और जो गुण्डा एलीमेंट्स हैं, बदमाश लोग हैं, उन को भी स्पॉट-आउट किया जाना चाहिए और उन के खिलाफ भी इस एक्ट के तहत सब्त से सब्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

इन सुझावों के साथ मैं आप का आभारी हूँ कि आप ने मुझे ज्यादा समय दिया।

**श्री चन्द्रजीत शाहब (आजमगढ़) :** सभापति जी, यह जो बिल सदन में पेश है, जिस पर सदन विचार कर रहा है, इस में सरकार का इरादा यह है कि जो चोर-बाजारी हो रही है या जो सामान लोगों को नहीं मिल रहा है, उस को कैसे लोगों को उपलब्ध कराया जाए और जो चोर बाजारी करने वाले हैं, उन के खिलाफ कार्यवाही की जा सके और उन को सजा दी जा सके। इस इरादे से यह बिल पेश किया गया है।

सवाल यह है कि सरकार का यह इरादा क्या एक्ट बनने के बाद पूरा होगा? इस विषय पर दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने अपना शक-शुबहा व्यक्त किया है। महज कानून बन जाने से ही अगर कार्य हो जाए तो इससे सरकार को निराशा ही होगी।

इस देश में कानूनों की कमी नहीं है। जो कानून पहले इस देश में है—बगैर कोई नया कानून बनाए, उन्हीं कानूनों में ऐसी व्यवस्था है कि चोर-बाजारी करने वालों के खिलाफ, काला धन बटोर कर उस का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ और अभाव की स्थिति से फायदा उठाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके, लेकिन फिर भी सरकार इस बात को करने में नाकामयाब रही है। आज सरकार को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आज इस देश के अंदर आदमी को उसकी

[श्री चन्द्रजीत यादव]

आदमी की सीमा के अंदर खाना, कपड़ा और मकान दिलाने में यह सरकार पूरी तरह से फेल रही है। आज इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं। जिनकी आदमी एक ६० बीस पंसा प्रतिदिन भी नहीं है, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि एक रुपया बीस पैसे में तो यदि आदमी खीरा खा कर भी जीना चाहे तो नहीं जी सकता। खीरा खाकर भी वह अन्नपा पेट नहीं भर सकता। आज 40 करोड़ ऐसे आदमी इस देश के अंदर रह रहे हैं जो गरीबी की सीमा रेखा से नीचे हैं। हिन्दुस्तान दुनिया का तन्हा ऐसा देश है जहां दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब आदमी, सबसे ज्यादा तबाह आदमी रहता है।

चीन के अंदर भी आज पश्चिमी देशों के लोग और पूर्वी देशों के लोग जा कर के देखते हैं और कहते हैं कि कम से कम उस देश में खाना, कपड़ा सब लोगों के लिये है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गरीब और बेकार लोग हैं और खाने, कपड़े के लिये तबाह हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को सजीदगी से सोचना चाहिये कि इस कानून से इस देश की गरीबी दूर नहीं होगी। इस कानून से देश में काला धन जिसकी पैरलल इकोनामी चल रही है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। सारी की सारी जड़ यह है कि सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ इस देश के 20 प्रतिशत लोगों के हक में हैं, और 80 फीसदी आदमी इन गलत नीतियों के कारण तबाह हो रहे हैं।

हर योजना के बाद देश में करोड़ों की संख्या में बेकारी बढ़ रही है। मुद्रा-स्फीति को रोकने में सरकार बिल्कुल

असफल हुई है। मैं जानता चाहता हूँ कि कृषि मंत्री जी यह बिल ला रहे हैं, इस देश में किसानों ने सबसे ज्यादा अनाज पैदा किया फिर क्यों आधका प्रो-क्योरमेंट का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ? यहाँ के किसानों को 150 रु० प्रति क्विंटल सरकार नहीं दे पायी, लेकिन अमेरिका से गेहूँ 200 रु० प्रति क्विंटल खरीद रही है। क्या कोई कानून आप लायेंगे इस देश में जिन्होंने गेहूँ पैदा करने के बाद, किसानों को लूट कर के अपने घर भरे हैं, उनके खिलाफ कुछ करेंगे? आपको मालूम है कि 350 रु० क्विंटल गेहूँ तमिलनाडु में बिक रहा है, 400 रु० क्विंटल बम्बई में बिक रहा है। 130 रु० के भाव से किसान से खरीद लिया और दो महीने के अंदर ही वही गेहूँ 350 रु० और 400 रु० के भाव से बिक रहा है। तबाह हो रहा है किसान यहाँ का। कोई नीति है आपकी? क्या आपको मालूम है इसी दिल्ली में सीमेन्ट 100 रु० बोरी बिक रहा है। क्या किसी गरीब आदमी को 5 बोरी सीमेन्ट मिल सकता है? नहीं। आप बम्बई में जाइये, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से पूछिये वहाँ दो दफतर खुले हुए हैं, किस। इस्टीमेशन के नाम पर 5,000 रु० डोनेशन दे दीजिये और 30 रु० बोरी के हिसाब से सीमेन्ट ले लीजिये। दूसरी जगह 15,000 रु० डोनेशन दीजिये और 15 रु० बोरी के हिसाब से जितनी बोरी सीमेन्ट चाहिये ले लीजिये और बड़े बड़े मकान बना लीजिये। लेकिन एक गरीब आदमी को, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले को एक बोरी सीमेन्ट नहीं मिलता। वह 150 रु० की बोरी ब्लैक में सीमेन्ट खरीदता है।

आज इस देश में बिल पंती कहते हैं कि ब्लैक मनी इकोनामी नहीं रोकी जा सकती है। उसकी पैरलल इकोनामी यहाँ हो गई है 35 साल के बाद गरीब

करने की जरूरत है कि नहीं ? खाली काग़ुल बसा देने से एक साइकोलाजी बन जायगी जो तबाही कर देगी । आपने बहुत सी चीजों पर अनावश्यक कंट्रोल लगा रखा है । क्या आप हिम्मत इस बात की है कि जो अनावश्यक कंट्रोल है उसको तोड़ सके ? एक एक जिले के अन्दर आपने मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है । उत्तर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में गेहूँ नहीं जा सकता । हरियाणा से पंजाब में नहीं जा पायेगा । सारे रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भ्रष्ट अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को खाने का मौका मिलता है । वह गेहूँ तमिलनाडु की आटा मिले खरीद लेती है लेकिन साधारण आदमी को नहीं मिलता । गरीब आदमी अपने यहाँ शादी विवाह के मौके पर सूजी खरीदता है तो उस तिगुने दाम देने पड़ते हैं । आज सरकार को सर्जिदगी से सोचना चाहिये और मानना चाहिये इस तथ्य को कि हिन्दुस्तान जैसे देश में जहाँ आधे से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा पर रहते हैं, जहाँ 80 फीसदी लोग गरीब हैं और उनकी आमदनी कम है, उनके लिये पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की नीति जरूरी है, और यह राष्ट्रीय व्यवस्था का एक अंग बननी चाहिये । हर हजार व्यक्ति के ऊपर एक सस्ते सामान की दुकान होनी चाहिये, चाहे गाँव हो या शहर सारे देश के अन्दर सरकार को दो साल के अन्दर इस बात का निर्णय लेना चाहिये कि सारे देश के अन्दर हजार आदमी के पीछे एक सस्ते सामान की दुकान खुलेगी और गाँवों में भी सामान मिलेगा और शहर में भी मिलेगा । कम से कम अनाज, सस्ता कपड़ा, उसके खाने का तेल, मिट्टी का तेल, चीनी और दवा उन दुकानों पर मिलेगी ।

दूसरी चीज, श्रीमन्, आज इस देश में जो बड़ी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, आज पैसा कहाँ जाता है । आपने कभी इस पर गौर किया जो बड़े बड़े कारखाने सामान पैदा करते हैं 10, 15 फीसदी उनका मुनाफा है । और इसके बाद सारी की सारी रिटेल की एजेंसी . .

होसमेल की एजेंसी आज बड़े मिल-मालिकों ने अपने रिश्तेदारों और अपने सम्बन्धियों को देनी शुरू कर दी हैं जब उन से रिटेल खरीदने जाता है चाहे दिल्ली का हो या अजमेर, बनारस या पटना का हो, छोट्टा हो तो बहा 25 फीसदी पहले उदो ब्लॉक में पैमेंट करना पड़ता है । 25 फीसदी पे करने के बाद तब उस को सामान मिलता है । जब वह उसे लाता है, 10 फीसदी अपना मुनाफा लेता है इस तरह से सामान जिस कीमत पर मिलता है, डेढ़, दो गुना उसकी कीमत बढ़ जाती है ।

कौन आज एजेंसी कर रहा है ? क्यों नहीं आप व्यवस्था बनाते कि घूमकर जो यह मारा पैसा बड़े-बड़े मैन्यूफैक्चरिंग यूनिटों के पास जाता है, जिस को सरकार अपने पास लेगी, चाहे को-ऑपरेटिव की व्यवस्था हो, चाहे बेकार नौजवानों को सस्ती दुकानों के खोलने का इंजाम दीजिये । आज कंगेडो नौजवान इन देश में बेकार हैं

एक-एक ग्राम में गाँव वालों से कहिये कि जिनको आप फैसला करिये, उस को दुकान दीजिये और यह 6, 7 सामान वह आप को 10 फीसदी मुनाफा लेकर देगा । उस का फैसला कर के दुकान दीजिये । क्या कभी सोचा है इस बारे में आप ने ?

केरल और बंगाल का नाम अभी हमारे जैबुल बखर साहब ले रहे हैं । केरल और बंगाल में तो हर गाँव में सस्ते मत्ले की

[श्री चन्द्रजीत यादव]

दुकानें खुली हुई हैं। कम सामान है, लेकिन कम सब को मिलता है। कम-से-कम बंगाल की सरकार ने कलकत्ता जैसे बड़े शहर में आजादी के बाद से फेयर प्राइस शाप खोलकर यह चीजें देने की कोशिश की है, चाहे कम मिलती हों, या ज्यादा मिलती हों।

मैं कहता हूँ कि आज 4 सरकारों को छोड़कर सारी की सारी सरकारें कांग्रेस (आई) की हैं। सारे देश में सूबों में भी और सेंटर में भी, क्या दिक्कत पड़ती है? आप नियम बनाइये, मंत्रियों से कहिये कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ काम करने की जरूरत नहीं है, सरकार को विल-यावर हो तो मंत्रियों से कहना चाहिये कि यह काम करिये, सस्ते गल्ले की दुकान, सस्ते सामान की दुकान खोलिये, इसको रोको, नहीं कर सकते हो तो तुमको छोड़कर जाना होगा। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्य-वाही नहीं होगी, मंत्री को जाना पड़ेगा।

मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर इस देश के गरीबों के हितों को प्रोटेक्ट करना है, उनके इंटरैस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को हमारी नेशनल इकनामी और नेशनल स्ट्रक्चर का परमानेंट हिस्सा बनाना चाहिये और यह करना चाहिये कि तब तक यह दुकानें खुली रहेंगी जब तक हम इस देश में उस स्टेज पर नहीं पहुंच जाते जब कि खुश-हाली हो।

आप इसके लिये पब्लिक प्रोपिनियन के लिये जाइये, मैं किसी पार्टी को दोष देने के लिये यह नहीं कहता, लेकिन आज आम जनता यह महसूस करती है कि आज दुकानों पर प्राइस लिस्ट क्यों नहीं टंगी। एमजेन्सी में प्राइस लिस्ट एक-एक दुकान

पर टंगी हुई थी, एक-एक धादमी को उसके मूताबिक बेचना पड़ता था। आज प्राइस लिस्ट टांगने के लिये जरूरी नहीं है कि एमजेन्सी लगाई जाये। प्राइस लिस्ट के लिये आप मजबूत इरादे से फैसला कीजिये। अगर दिल्ली में उस जमाने में कांग्रेस कमेटी बनी तो आज कोई कमेटी बनाकर क्या वाच-डाय कमेटी नहीं हो सकती? क्या उसके लिये एमजेन्सी चाहिये? आज क्यों नहीं यह कमेटी बनाई जा सकती और प्राइस लिस्ट नहीं टंग सकती? आज क्यों नहीं कंज्यूमर्स मूवमेंट को मजबूत करने के लिये सरकार प्रोत्साहित करती? उसकी वजह है चूंकि रूलिंग पार्टी चुनाव के लिये बड़े-बड़े ट्रेडर्स, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से पैसा लेती है और उसी की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। आज यह सचाई है, इसको कोई इंकार नहीं कर सकता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : गलत, गलत।

श्री चन्द्रजीत यादव : आज इसको कोई इंकार नहीं कर सकता। आप भले ही हाथ हिलाइये, मगर यह सच्चाई है, इसको आप इंकार नहीं कर सकते।

आज की पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की यह जो व्यवस्था है, वह इतनी गलत है कि इस पर सोचना पड़ेगा। चुनाव के बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर इस देश में चुनाव इतने महंगे होते जा रहे हैं? मैं कहता हूँ कि सरकार इस बारे में फैसला करे। आप तो रूलिंग पार्टी है, आपको सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है, मगर चुनाव के अंदर परिवर्तन नहीं किये गये तो आज हालत यह है, हम सब को ही चुनाव लड़ने पड़ते हैं, एक-एक चुनाव पर 5,5 और 7,7 लाख रुपये खर्च करना पड़ता है और यह मजबूरी में खर्च करना पड़ता है। मैं यह

किसी एक पार्टी के लिये नहीं कह रहा हूँ, देखना पड़ेगा कि कैसे चुनाव लड़ा जाये। अगर बाई-इलैक्शन हो जाये तो उस पर 10 गुना खर्चा बढ़ जाता है, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी लड़े। आज चुनाव के खर्च का, पैसे का स्रोत बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, कारखाने का मालिक है। अब चुनाव के लिये पैसे लिये जाते हैं तो आपको हिम्मत घट जाती है। सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती—उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। यह सच्चाई है कि कानून बनाने से ये बुराइयाँ दूर नहीं हो सकती।

आज बढ़ती हुई कीमतें इस देश की आम जनता को तबाह कर रही है। एक-एक आदमी आज परेशान है। इस लिए आज सरकार को एक नेशनल प्राइस पालिसी और एक नेशनल प्राफिट पालिसी, इन दोनों को बनाना पड़ेगा। जहाँ तक देश के पूंजीपति का संबंध है, अगर कोयले का दाम बढ़ गया, रेल का किराया बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया और मजदूर की तत्खवाह बढ़ गई, तो वह बम्बई, कलकत्ता या कानपुर से दिल्ली जाता है, और मंत्रियों के सैक्रेटरीज के साथ बैठ कर यह तय कर लेता है कि हमारी लागत दस फीसदी बढ़ गई है, हमारे दाम बढ़ने चाहिए। कैबिनेट के लिए पेपर तैयार हो जायेगा कि ठीक है, कोयले का दाम, रेल का फ्रेट, पावर का दाम बढ़ गया है, इस लिए इनकी बात में सच्चाई है, जस्टि-फिकेशन है, और पूंजीपति की चीज का दाम बढ़ जाता है। उसको कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। मगर जब किसान के फर्टिलाइजर का दाम बढ़ जाए, पानी का दाम बढ़ जाए, बिजली का दाम बढ़ जाए, तो क्यों नहीं यह नीति लागू होती है कि किसान को बगैर तकलीफ दिए हुए, और उसकी आंदोलन के लिए

मजबूर किए हुए, सरकार स्वतः कहे कि चीजों के दाम बढ़ गए हैं, इस लिए जिस तरह से हम उद्योगपतियों की चीजों के दाम बढ़ाते हैं, उसी तरह से हम किसानों की उपज की प्राइस भी बढ़ायेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है, और उसके लिए किसान को आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा तब कहीं जा कर सरकार उसके साथ सौदेबाजी करती है कि 150 रुपये नहीं, 120 रुपये लीजिए या 130 रुपये लीजिए।

किसान देश का सब से बड़ा भाग है, मगर किसानों के सामान को खरीद और बेचने के संबंध में सरकार की पालिसी बिल्कुल अनरीयलिस्टिक रही है, उसकी एंटी-पेजेंट्स पालिसी रही है। इसी पालिसी का नतीजा है कि आज भारत जैसे देश को एडिबल आयल दुनिया के दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा है। खाने का सामान, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल दूसरे देशों से मंगाया जायेगा, तब अपने देश को दिया जा सकेगा। कहीं कमजोरी है या नहीं? यह देश स्वयं ये चीजे क्यों नहीं पैदा कर सकता? वह कर सकता है। इसी लिए मैं चाहता हूँ कि सरकार को नेशनल प्राइस पालिसी और नेशनल प्राफिट पालिसी बनानी चाहिए।

सरकार को छठी पंच-वर्षीय योजना पर फिर से विचार करना चाहिए और उसकी प्रायटीज को रीफ्रिक्स करना चाहिए। छठी पंच-वर्षीय योजना उसी पुराने पैटर्न पर चल रही है जितका नतीजा यह हो रहा है कि शरीब और भ्रमीर के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है। सरकार का इरादा चाहे जितना नेक हो, लेकिन इस कानून से इस बढ़ती हुई कीमतों, चोर-बाजारी और काले धन पर बहुनियंत्रण नहीं कर सकेगी।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

इसलिए सरकार को पुरी की पुरी योजना पर फिर से विचार करना पड़ेगा।

इसके साथ ही इस देश में कनज्यू-मर्ज मूवमेंट को मजबूत करना पड़ेगा और उसमें सरकार की मदद करनी पड़ेगी मैं आपको कैमिंटलिस्ट कंट्रोल का उदाहरण देता हूँ। स्विटजरलैंड में कुछ लोगो ने कनज्यूमर्ज मूवमेंट के जरिये सारे देश में दुकानें खोल रखी है। अगर आपको अच्छी घड़ी लेनी है, तो बड़ी दुकान में ग्रहणी खरीदिए। लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए घड़ी सस्ते से सस्ते दामों पर दुकान पर मिलती है। इसी तरह कपडा, सब्जी और दूसरा सामान मिलना है आज सरकार को फिर से अपनी पूर्ण योजना पर, पुरी व्यवस्था पर, विचार करना चाहिए। इस देश में पूजावादी व्यवस्था दिन-प्रतिदिन मजबूत हो रही है और वह आम जनता की जिन्दगी की कीमत पर, जिसके कारण 80 फी-सदी लोक तबाह हो रहे हैं परगान हो रहे हैं। हमने अपने कांस्टिट्यूशन में यह प्रतिज्ञा की है कि हम सब बच्चों को स्कूल भेजेंगे, चौदह साल तक के बच्चों को कम्पलसरी और फ्री एजुकेशन देंगे।

Six crores children are not going to school because their parents cannot afford to send them to primary school. These children belong to poor families the harijans, the scheduled castes, the scheduled tribes, backward classes Their parents prefer to make them domestic servants because of their weak economic position. The child earns Rs. 30 to 40 per month Therefore, he will be able to earn his dal and roti. This is the situation It needs a very serious consideration of the entire socio-economic policy. This kind of a Bill and this kind of

an Ordinance is not going to control the parallel black economy in the country nor it is going to be an effective instrument against black-mar(keteers

With these words, I think that the Government should reconsider these measures.

श्री मूल चन्द्र डागा (पाली) : सभापति महोदय, जब इस बिल पर डिस्कशन हो रहा था तो एक बात मेरे दिमाग में आई और वह मैं माननीय कृषि मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। न तो मर्ज कम होता है न मरीज रोग से मुक्त होता है और डाक्टर दवा देते रहते है। भगवान जानता है (ध्वबधान). . . दवा में तो अब कुछ तत्व है लेकिन पता नहीं डाक्टर किस प्रकार दवा को एडमिनिस्टर करता है? 1955 में यह कानून आपने बनाया एसशियल कम्पिडिटीज ऐक्ट और उसको अमेंड करते चले गए। रवि साहब बताएंगे, बहुत अच्छा चूकि डिटेल में स्टडी करते है, मुख्य मंत्री रहे हैं हरिदाणा के, मैं उनसे एक बात

16 42 hrs

[SHRI CHANDRAJIT YADAV in the Chair]

पूछता हूँ कि ज्यो-ज्यो आपने कानून पास किया ज्यो ज्यो उस कानून में तबदीली होती गई, क्या इस प्रकार से भाव नीचे आ गए? चीजें गरीबों को उपलब्ध होने लगी? और इस प्रकार से आपने कितने लोगो को सजा दी? जो कानून आज है उस कानून के अन्तर्गत कितने दोषी पकड़े गए और कानून की कमी के कारण कितने दोषी छूट गए?

मैं कानून अमेंड करना चाहता हूँ, कानून में संशोधन करना चाहता हूँ, ये दो बातें रोज हम सुनते हैं, चाहे जनता

पार्टी की सरकार हो चाहे और कोई सरकार हो। जब कभी बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि मुनाफाखोरों, जमादरों, अपने रवैये को बदली नहीं शिकंजे में बन्द कर दिए जाओगे। अखबारों में यह खबर मुख्य पृष्ठ पर होती है। जमाखोर जिदुतने हैं शिकंजे में बन्द कर दिए जायेंगे। अच्छा है। दो चार रोज तो बड़े बड़े स्टेटमेंट अखबारों में आते हैं और ये स्टेटमेंट जैसे सांफ फुफकार करता है ऐसे ही दो चार रोज तक बहुत निकलते हैं। उसके बाद जैसे सांफ थक जाता है और अपनी फुफकार बन्द कर देना है ऐसे ही ये स्टेटमेंट आने बन्द हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि अब थक गए। उसके बाद एक काम यह करते हैं कि कानून बना देते हैं। मैं कहना हूँ दवा का नाम लेने से रोग नहीं जाता है, दवा खाने से रोग जाता है। लेकिन यहाँ एक बात है कि दवा का नाम रोज लेते रहो।

एक बात मैं बताऊँ कि आपके राज्यों के लोग हैं... (व्यवधान) ... देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जो मंत्री जी की आवाज में बोलें, मैं शायद ज्यादा मंत्री जी के नजदीक होऊँगा लेकिन मुझे अपनी बात कहनी है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपके कानून बनाने के बाद कितनी बार उसमें तरमीम हुई और कानून में तरमीम होने के बाद भावों में कितनी थिराबंट आई, कितने आदमियों को सजा हुई और कितने हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो यह बतलाते हैं कि कानून की कमी के कारण और उसमें जो कमजोरियाँ हैं उनके कारण मुलाजिम छूट गए? एक नयी बात शायद मेरे दिमाग में आती है कि न्याय एक सौदा है जो तिजोरियों से खरीदा जा सकता है। बिलकुल और कुछ न्याय

नहीं है। तिजोरियों में जिसके पैसा है वह न्याय खरीद सकता है। आज एक भ्रष्टाचार जीवन में हर तरफ से छाया हुआ है, देश के रोम-रोम में व्याप्त है। यह भ्रष्टाचार का -छूत जन-जीवन में किसी से अलग नहीं है। उसने सभी हिस्सों को छू लिया है। क्या आप बतायेंगे कि कितने इन्फोर्समट, इंस्पेक्टर, कितने डिस्ट्रिक्ट्स सप्लाई आफिसर कितने फड कमिश्नर र.। कितने और अधिकारी इस महकमे में हैं जिन-पर इस कानून के जरिए ऐकशन लिया गया है। जो धनवान लोग हैं, जो मालदार लोग हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। वे तो बस यह जानते हैं चार पैसे रिश्वत के ज्यादा लगेगे। नजराने से दपतर के बड़े बड़े देवता खुश हो जाते हैं। जो देवता वहाँ पर काम करते हैं उनका प्रसाद चढ़ा दिया गया तो फिर आपका सारा कानून अलग रह जायेगा। यह देवता प्रभाद के भूखे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कौन सी मशीनरी है जिसके जरिए से आप कानून को लागू करेंगे।

मैं मानता हूँ कि आपने कानून को मजबूत कर दिया। आपने नानबेलेबल आफेन्स कर दिया है। मैंने सोचा कि यह बड़ी चीज हो गई, अब बनिए खबरा जायेंगे, पहले अगर दो हजार देते थे तो अब चार हजार रख लें। तो नानबेलेबल आफेन्स बनाकर आप क्या करना चाहते हैं? किसी ने एक टेकिंगल आफेन्स की है, कोई सूची लगी हुई थी वह किसी कारण हट गई तो आपने कह दिया नानबेलेबल आफेन्स और उसमें आपने कोई डिस्क्रीशन भी नहीं दिया। तीन महीने की सजा मैनडेटरी कर दी गई है कि तीन महीने की सजा तो होगी ही। एक दिन की सजा क्यों नहीं हो सकती अगर कोई टेकिंगल आफेन्स ही किया गया है? कई बार टेकिंगल



[श्री मूल चन्द डागा]

आफेंस हो जाते हैं और यह भी देखा जाता है कि उसकी गिल्टी इंटेंशन थी या नहीं? इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो आपने तीन महीने की सजा का प्राविजन रखा है उसपर आप फिर से विचार करेंगे। पहले तीन महीने तक की सजा का प्रावधान था लेकिन अब आपने कह दिया कि तीन महीने की सजा दी जायेगी।

आपने सेक्शन (7) में अमैन्डमेंट किया है। पहले तो आपने नानबेलेबल कर दिया और फिर यह कह दिया कि अगर कलक्टर ने जजमेंट दे दिया, जिसके लिए पहले प्राविजन था कि जुडीशियल एयारिटी के पास अपील की जा सकती थी, लेकिन अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास अपील की जायेगी। क्या आप जुडीशियरी में विश्वास करना चाहते हैं या नहीं आपको जुडीशियरी पर विश्वास है या नहीं—यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न सामने आता है। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। आपने जो क्लॉज अमैन्ड किए हैं इसमें सेक्शन 6 (सी) में आपने कहा है :

In Section 6C of the principal Act—

for the words “any judicial authority appointed by the State Government concerned and the judicial authority”, the words “the State Government concerned and the State Government” shall be substituted.

सरकार किसी भी पार्टी की हो, हमने जुडीशियरी, एग्जीक्यूटिव और लैजिस्लेचर इन तीनों अंगों को रेस्पेक्ट दी है आज उभमें कमी करने का क्या कारण है ?

यह आप का सन् 1955 का एक्ट है। जुडीशियल एयारिटी को अमैन्ड करके आप ने कह दिया है :

They have said in Clause 5:

“...in sub-section (1) for the words any judicial authority appointed by the State Government concerned and the judicial authority the words “State Government concerned and the State Government” shall be substituted.”

राव बोरिन्द्र सिंह : आप ने कहा इन्साफ बिकता है।

श्री मूलचन्द डागा : यह बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा कि नहीं, यह जो बैठते हैं, राजनीतिक पार्टी वाले, वे न्याय करें और आपके दिमाग में यह बात आ गई। आप इस बात को समझिए कि जुडीशियरी को हर वक्त इंडिपेंडेंट मानना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आप जुडीशियरी को हटा कर समाज को पावर देना चाहते हैं, उस पर आप विचार करिए और नहीं तो यह जो पावर आप ने दी है, उस पर गौर करके देख लीजिए। आपने सेक्शन-7 में अमैन्डमेंट करते समय क्या कभी सोचा है कि इस में अमैन्डमेंट करना क्यों जरूरी था। आप का क्लॉज-7 क्या कहता है :

Clause 7 of the Bill reads:

“In section 7 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), the proviso to sub-clause (ii) of clause (a) shall be omitted;

(b) the proviso to sub-section (2) shall be omitted;

(c) the proviso to sub-section (2A) shall be omitted;....”

Now, what is the proviso they want to omit? The provision the principal Act reads:

“Provided that the court may, for any adequate and special reasons to be mentioned in the judg-

ment, impose a sentence of imprisonment for a term of not less than three months."

In the case of proviso to sub-section (2A) it is six months.

उस के अन्दर जो सजा थी, उसके जरिए नहीं किया है, लेकिन इन्होंने अमेंडमेंट करने की कोशिश की। एक अमेंडमेंट आपने किया कि जजेज नहीं रखे जायें। मैं कहना चाहता हूँ कि जजेज के सिवाय कौन रखे जाते हैं। आप ने कह दिया।

"...or are qualified to be appointed as judges...."

What do you mean by 'are qualified..'? Why not: "Every such Board shall consist of three persons who are, or have been, judges of a High Court, and such persons shall be appointed...."?

दस साल में एल० एल० बी० कर लिया और दुकान कर रहा हूँ। दस साल में एक दफा कोर्ट में गया हूँ—आई-एम-क्वालिफाईड। क्वालिफाईड यह आप ने क्यों हटाने की कोशिश की। जजेज पहले भी थे—बोर्ड ऑफ कन्सिस्ट आफ जजेज और क्वालिफाईड टू बी एम्पाइटेड। लेकिन आप ने क्राइटेरिया क्या रखा है, कुछ नहीं। लेकिन डि-विल-बी-एम्पाइटेड एज जज। फिर आप ने नान-बेलेबल आफेंस कर दिया और नान-बेलेबल आफेंस करने के बाद समरी ट्रायल कर दिया और समरी ट्रायल करने के बाद आप ने उस केस के अन्दर कहा कि दो साल तक की सजा दी जाएगी। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आप ने राज्य सभा में स्टेटमेंट दिया है, इस संबंध में। जहाँ पर कोई इक्नीकल आफेंस हैं तो उन को तीन महीने कम्प्लसरी सजा हो। कोई आदमी 70 साल का है, कोई छोटा सा लड़का है, क्या आप ने उनके बारे में सोचा है। आप ने

तो इसे मेण्डेटरी कर दिया। इसलिये मैं अर्ज करना चाहूंगा आप मेहरबानी कर के इस बिल को पारित करते समय इस बात को समझ लें कि कानून पारित कर देने से बड़ा असर हो जायगा—ऐसी बात नहीं है। आज मुझे अगर 100 बोर सीमेंट चाहिये तो वह मिल सकता है, चोर बाजार में सब कुछ मिल सकता है, इसलिये कि कानून को सही मायनों में अमली रूप नहीं दिया जाता है। हमारी मशीनरी, हमारे काम करने वाले लोग इतने ईमानदार और दूध के धुले हुए नहीं हैं कि वे न्या दे सकेंगे। कहीं ऐसा न हो कि इस कानून के जरिये जो निर्दोष व्यक्ति है या जिस ने जानबूझ कर नहीं किया है, वह फंस जाय, क्योंकि कानून मकड़ी का जाला है, जिस में गरीब जल्दी फंस जाता है और धनवान छूट जाता है। धनवान तो फंसता ही नहीं है। आप चाहे जिस तरह का कानून पारित करें—धनवान उस से बाहर निकल जाने का तरीका जानता है। जब तक इस देश से भ्रष्टाचार नहीं हटेगा, नजराना नहीं हटेगा, तब तक कानून के जरिये सरकारी कर्मचारी छोटे दुकानदारों को परेशान करते रहेंगे।

मे ने इस बिल पर अपने कुछ अमेण्डमेंट्स दिये हैं, जब उन का समय आयेगा, तब मैं उन पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। लेकिन मैं पुनः तीन बातों की तरफ आप का ध्यान खींचना चाहता हूँ—इस को नान-बेलेबिल न बनायें, तीन महीने की सजा का प्रावधान न करे और जुडीशियल अथारिटी को जो पावर दी गई है, वे स्टेट अथारिटी को न दे दें। . . . .

श्री नवल किशोर शर्मा (दोसा): और गरीब बनियों का ध्यान रखें।

श्री मूल सचिव डागा: ब्राह्मणों का भी ध्यान रखिये क्योंकि वे बनियों के घर आते हैं और उन से दोनों का कल्याण होता है।

SHRI CHITTA BASU: Sir, so far as the intention, the objective of the Bill in dealing with the blackmarketeers and hoarders are concerned, I think, there cannot be any difference of opinion. But, Sir, I am inclined to observe at this stage that by this amendment, Government propose to include certain special provisions and a few categories which they have prescribed for the special provisions. They are:

1. there should be a provision of special courts;
2. there should be a provision for summary trials; and
3. offence should be non-bailable.

These are the special provisions. Let me make this submission that the amendments, by themselves, cannot really fulfil the object of the Bill. The object of the Bill and the Long Title is 'for dealing more effectively with persons indulging in hoarding and blackmarketing of, and profiteering in essential commodities and with the evil of vicious inflationary prices.' Sir, you would notice that if the phenomenon of inflation has also been connected with this, is it possible to fight back the inflationary trend, the rise in prices, by this kind of amendment? I am sorry to say that if we have to fight back the inflationary trend, then some special economic policy, special economic steps are required which could check the inflation.

Sir, as I have told you earlier, these amendments, left by themselves cannot fulfil the object of the Bill. You have rightly pointed out that this Act was in force from the year 1956 or 1955. Has there not been any increase in price after 1956? There has been.

So far as Prevention of Blackmarketing Act is concerned it had been passed earlier and we have been told

that there were 843 arrests or detentions under that Act. It has also been said that 3,746 searches and seizures took place last and so far as COFE-POSA is concerned there were 354 detentions. Don't misunderstand me but these facts do point out that merely by these measures the price rise cannot be curbed. On the contrary prices have gone up. Therefore, it is not only the question of legislation or amendment, some other measures are required if we are to deal with the price rise..

For example, you cannot curb the price rise unless you have a wide range distribution system of essential commodities and you cannot have an effective distribution system through public channel unless you have got physical control over the commodities. What is happening today is that under the name of public distribution system you have got no physical control over the commodities which are essential. Commodities are not being supplied at cheaper or fixed rates through those shops because you have no physical control over the commodities. Therefore, if you want really to make public distribution system successful and effective it is necessary to have physical control over the essential commodities. I know the hon. Minister will be angry with me whereas I reiterate my position that unless you take over the wholesale trade of essential commodities all talk of effective distribution system is going to be ineffective,

Sir, even in the parent Act there was provision in Section 6A whereby Government can statutorily fix prices. What prevents the Government from fixing the prices of essential commodities statutorily and then seeing that the prices are not brought up.

Sir, a proposal has been made by the West Bengal Government, namely, there should be a list of fourteen essential commodities and the prices of those

fourteen essential items should be statutorily fixed all over the country and there should be Civil Supplies Corporation with an element of subsidy from the Centre and they should see that these essential commodities are distributed to the consumers through fair price shops. (Interruptions) You cannot curb the prices if you go the IMF way.

17.00 hrs.

The World Bank asks you to reduce the subsidy. And you tell them, yes, we are going to reduce the subsidy. But may I tell you this? By reducing the subsidy the prices cannot come down. It is the IMF and the World Bank which prescribe that subsidies should be reduced and if necessary abolished altogether. They say that there should be ban on strikes and you have agreed to that. But I am not discussing those things just now. I say, if you have really bona-fide intensions, there should be a reversal of this policy.

It is my demand that Government should not only strengthen the public distribution system, but they should statutorily fix prices of essential commodities. I have already mentioned 14 items. There should be Civil Supplies Corporation at the State Level which should be established with an element of subsidy. The State Government should be allowed to distribute them to consumers at cheaper rate. There should be differential price rate; for the poorer sections of the community the price should be lower. Agricultural workers and weaker sections of the community should be able to get food articles and essential items at cheaper rates. I feel that unless that policy is pursued by the Government, these kinds of piecemeal amendments will not achieve the objectives in view.

My last point is this. My friend Shri M. C. Daga has also pointed out

about this. There is a deliberate attempt at abolition of the judiciary at every step. Wherever the word 'Judicial authority' is mentioned, the proposed amendment says, 'It will be substituted by State Government', as if the judiciary is the villain of peace or the culprit in the entire set-up. The parent Act provided that the judges should be sitting judges. But now you want to substitute by a single person sitting court. And who will be the judge? Any lawyer belonging to your party having 10 years experience of practice in any High Court can become Judge of this Special Court. This is an indication of your partisan attitude and partisan interest. You want to go to the extent of removing the judicial control in this entire set-up. You want only your partymen to head these Special Courts, I feel that such kinds of laws will be misused and abused. What you should do is that you should bring about a major shift in our economic policy so that the prices can come down and the consumers can be assured of supply of essential commodities at cheaper and reasonable prices. With these words I conclude.

सभापति महोदय : व्यास जी, आप थोड़े में बोल लें, इसको ग्राज खत्म करना है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भोलुवाड़ा) :  
 सभापति महोदय जो बिल माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर प्रस्तुत किया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। पर इस में जो कुछ खामियाँ हैं उनके बारे में मैं ज़रूर निवेदन करूँगा।

इस में एक तो यह है कि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि कोई भी अपने घर में कितना सामान रख सकता है, और उससे ज्यादा रखने पर उसके खिलाफ क्या हो सकता है। अगर कोई लिमिट से ज्यादा सामान रखता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गयी है? उसके बारे में भी

## [श्री गिरधारी लाल व्यास]

इसमें प्रावधान होना चाहिए। जो ग्रॉशेल कमोडिटीज पैदा करता है और वह लिमिट से ज्यादा अपने यहां रखता है तो निश्चित तरीके से उस पर भी वही कानून लागू होना चाहिए। वह भी उसी तरह से कानून का उल्लंघन करता है जिस तरह से दूसरा करता है। इसलिए इसमें कोई न कोई प्रावधान होना चाहिए।

आपने धारा-8 में छूट दे दी है। उसमें कहा गया है कि -

“परंतु जहां किसी व्यक्ति ने धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (4क) या उपखण्ड (4) में वर्णित प्रकृति की किसी आवश्यक वस्तु को, अपने उपयोग के लिए या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के उपयोग के लिए या अपने पर निर्भर किसी व्यक्ति के उपयोग के लिए न कि ऐसी किसी वस्तु का कारबार या व्यापार करने के प्रयोजन से, उपाप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी आदेश का उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण किया है।”

इसका मतलब यह है कि आपने इस प्रयोजन में उसको छूट दे दी है। उसके परिवार वालों को भी छूट दे दी है। इसके तहत उस को खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इससे जो बड़े बड़े कार्तकार और खातेदार हैं, वे इससे फायदा उठावेंगे और उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही करने में बाधा आएगी और मंशा के विपरीत व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकेगी। लोग निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन करेंगे, इसलिए इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से 12क की ओर आपका ध्यान आकषित करना चाहता हूँ इसमें (घ)-(i) में बताया गया है कि -

“इस प्रकार छोड़े जाने के लिए आवेदन का विरोध करने का अभियोजन को भ्रंशर दिए बिना ऐसे व्यक्ति को तभी जमानत पर छोड़ेगा जब विशेष न्यायालय की, लेख बद्ध किए जाने वाले कारणों से, यह राय हो कि ऐसा भ्रंशर देना व्यवहार्य नहीं है।”

आप ने इस प्रकार की इजाजत दे दी है कि सरकार के परोकार कोई आब्जैक्शन न करें, इसलिए इस से पहले ही जज उस को जमानत पर छोड़ देगा। इस तरह से आप ब्लैक मार्केटियर्स को और होर्डर्स को जो सजा देना चाहते हैं, उस से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था को इसमें से हटाना पड़ेगा।

इसके साथ साथ 12 (घ)(ii) में आप ने बताया है कि—

“परन्तु यह और कि विशेष न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को उस दशा में जमानत पर छोड़ दिया जाए, जबकि उस की आय सोलह वर्ष से कम है या वह स्त्री है या वह रोगी या दुर्बल व्यक्ति है या विशेष न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि किसी अन्य विशेष कारण, से, जिसे लेखबद्ध किया जाएगा, ऐसा करना न्यायपूर्ण और उचित है।”

इस तरह से आप बहुत कम लोगों को सजा दे पाएंगे। बहुत लो लोग बीमारी का झूठा सर्टिफिकेट ले आएंगे, बहुत से लोग 16 साल के बन जाएंगे, इस तरह से आपका सारा का सारा उद्देश्य बीच में ही रह जाएगा। और आप का मकसद पूरा नहीं हो सकेगा।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस में इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए। जिस से आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुचारु रूप से किया जा सके।

अन्त में मैं एक-दो सुझाव वितरण प्रणाली के संबंध में और देना चाहता हूँ। जब तक आवश्यक वस्तुओं का वितरण ठीक नहीं होगा, तब तक आप कितने ही कानून बना दें, चोर-बाजारियों के खिलाफ कितने ही कानून बना दें, उन से कोई फायदा नहीं है। आप को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की एक निश्चित व्यवस्था करनी होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर बहुत से प्रांत ऐसे हैं, जैसे, मद्रास, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि, जहां पर कोआपरेटिव बेसिस पर असैशियल आर्टिकल्स ठीक प्रकार से वितरित हो रहे हैं, लेकिन अन्तः प्रांतों में व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए आप को कोआपरेटिव-सोसाइटी पर आधारित एक एजेंसी तैयार करनी होगी, जिसमें तमाम आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जा सके। इस में दिक्कतें आएंगी, जैसे फण्ड की दिक्कत है, मैनेजमेंट की दिक्कत है और देहात में पहुँचाने लोगों की कमी-ये दिक्कतें आएंगी। इसलिए इसके लिए ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो इस कार्य का अनुभव रखते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने की और तत्पर है। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को मजबूत करने की और आप को ध्यान देना होगा। आप हर प्रकार के क्षेत्र में सब्सिडी देते हैं और उस की वजह से आप की व्यवस्था जम नहीं पाती। और दूसरे लोग इस का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए सब्सिडी देने की बात छोड़िये और कोआपरेटिव मूवमेंट को मजबूत कीजिये। 500 करोड़ रु० कोआपरेटिव मूवमेंट के जरिये से देहात और शहरी क्षेत्र में कोआपरेटिव सोसाइटीज स्थापित कर के उन को दीजिये और उन के मैनेजमेंट को ठीक से चलाइये। इस प्रकार हम निश्चित

तरीके से एसैशियल आर्टिकल्स को सप्लाई कर सकेंगे।

थोड़े दिन पहले आपने एक प्रैस कानफेन्स की थी टी० वी० पर जिस में यह सवाल पूछा गया कि क्या आप एसैशियल आर्टिकल्स को सब जगह सप्लाई कर सकेंगे? तो आप ने कहा यह जरूरी नहीं है कि सब जगह सप्लाई कर सकें। मगर आज की मंहगाई में जरूरी है कि जो जीवन के लिये आवश्यक चीजें हैं जैसे गेहूँ, शक्कर आदि यदि उन का वितरण हम नहीं करते तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पायेंगे। इसलिये इस चीज को ठीक करना चाहिये। आज सीमेंट, विरोसिन गैस ऐडिबिल आयल, सीरियल्स, शूगर, कोयला, कपड़ा ऐसी चीजें हैं जिन को कोआपरेटिव के जरिये से एसैशियल आर्टिकल्स मान कर सप्लाई करने की व्यवस्था करनी चाहिये। हम ने कपड़े की व्यवस्था की है, 110 मिले ले कर एन० टी० सी० वायम की है, जिन में मोटा कपड़ा बनता है। मगर क्या उस का वितरण ठीक प्रकार से होता है। क्या हम गेहूँ, शक्कर, वैजेटेबिल आयल, ऐडिबिल आयल लोगों को ठीक प्रकार से दे रहे हैं? यह सारी व्यवस्था निश्चित रूप से ठीक होनी चाहिये।

सीमेंट को देख लीजिये। पहले तो उन के एजेन्ट लोग ब्लैक करते थे, लेकिन आज बड़े बड़े सीमेंट के कारखानेदार स्वयं ब्लैक करते हैं। 2, 3 रु० फी बोरी ज्यादा ले कर के। भारत सरकार था सीमेंट कंट्रोलर कोई आदेश दे था न दे उन को कोई चिन्ता नहीं है। ऐसे वाले लोगों को सीमेंट उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन भरीब जरूरतमन्द लोगों को सीमेंट नहीं मिलता। इसलिये ऐसे लोगों के संबंध में कोई न कोई ब. स्या करनी चाहिये जिससे काम ठीक से चल सके।

एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि वितरण की व्यवस्था आप ठीक कर दें तो

[ श्री गिरधारी लाल व्यास ]

बहुत सी समस्याएं हल हो जायेंगी। हमारे विरोधी दल के लोगों ने भी इसका स्वागत किया, मगर कुछ बातें अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कोल माइन्स का आपने नेशनलाइजेशन किया। लेकिन आज वहाँ क्या व्यवस्था है? वहाँ खानों में काम करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? बंगाल की सरकार क्या कर रही है? दूसरी सरकारें क्या कर रही हैं? मद्रास और केरल के बीच में ऐंसेशियल आर्टिकिल के बारे में जो घबला हुआ उसके सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है? बंगाल की सरकार लाखों टन कोयला बाहर भेज रही है उसके सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है? इन सारे प्रश्नों को देखना चाहिए, और जो जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं उनकी सप्लाई लोगों तक ठीक से कर सकें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। कानून में लूपहोल्स न रहें। 1955 से आज तक कानून बनाते आये हैं, मगर जो लूपहोल्स रह जाते हैं उसका दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। इसलिए लूपहोल्स बन्द होने चाहिए।

पेस्ट्रीसाइड्स के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए मंत्री जी ने कहा कि वह भी ऐंसेशियल आर्टिकिल है। लेकिन कारखानेदार जो घटिया किस्म की दवाई बना रहे हैं जिससे किसानों को और राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कन आप कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट लेजिल पर और ब्लाक लेजिल पर लोग नहीं हैं। मेरा कहना है कि वहाँ आपके अधिकारी बैठे हुए हैं, मगर उनको कोई अधिकार नहीं है। ऐसी घटिया किस्म की दवाई बेचने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाये इसके बारे में कोई न कोई कानून के जरिए से उनको आपको पावर देनी चाहिए। ताकि इस प्रकार का जो गलत डिस्ट्रि-

ब्यूशन या गलत काम हो रहा है, उसको रोका जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन दोनों बिलों का समर्थन करता हूँ।

SHRI RATANSINH RAJDA (Bombay South): Mr. Chairman, Sir, the avowed object of the Government is to make the Act as stringent as possible and to take harsher action against the anti-social elements, blackmarketeers, hoarders etc. In the Government's view some special provisions are required to meet the current inflationary situation and that they want to curb the anti-social elements indulging in hoarding and black-marketing, as I just now said.

But, Sir, I am very much surprised. Since 1955 the Government is armed with full legal powers, but unfortunately the anti-social elements, blackmarketeers and hoarders are having their field day and all the attempts of the Government have gone phut. What is the root cause, we should ask ourselves? Any sane person will be the last man to say that no action should be taken against blackmarketeers, anti-social elements and hoarders. I would like to submit that the Government is passing the buck on others and make their scapegoats for their own failures. Sir, had the existing provisions of law been fully exploited and utilised in a very honest manner through the Government machinery, I think the blackmarketing, hoarding etc., would have been the matter of the past. But unfortunately, the failure of the Government to curb all these is because of the Government's wrong economic policies. Inflation is not due to anything else, but due to the failure of the government's economic policies.

Sir, the Government's machinery at the lower rung is very corrupt.

There is also a hand-in-glove relationship between the big sharks and the treasury benches. All those big sharks go scotfree and wrong type of people or small fries are netted in. It is they who have to suffer.

Therefore, I would like to ask the Government whether they are very serious about it. Whether they have got the political will to implement it and to bring to book all those anti-social elements, blackmarketeers and hoarders? Sir, I have my own doubts about the intention of the Government as far as this aspect is concerned.

The time at my disposal is very short. I had made a long list of the entire history of how this has happened.

Sir, the trading community in this country has got some reasonable apprehensions on this. I am not talking of those blackmarketeers or hoarders. Here I am talking of petty traders. The staff at the lower rung get hold of those petty traders and make them scape-goat. They are after their blood. Simply because they have not mentioned the prices on the notice-board, they are victimised

I think this Government is making a show. This Government is not very serious in solving the problem of inflation, in bringing down the price-line, in bringing to book all these blackmarketeers, hoarders and anti-social elements.

Under the circumstances I would like to request the Government to refer this to Select Committee. That is the only way to make it a foolproof system. Otherwise it will be very difficult for you to cope up with the situation. So far you have miserably failed and you will fail again.

श्री राम लाल राही ( मिसरिख ) :  
सभापति महोदय, चोर-बाजारी और मुनाफ़ा-  
कारी बन्द हो और महंगाई पर नियंत्रण

हो, जब ऐसा कोई भी विधेयक सदन के सामने पेश होगा, तो इस माननीय सदन के सदस्य निश्चित रूप से उसको भरपूर समर्थन देना चाहेंगे। सभापति महोदय, मुझे आपके भाषण की एक बात पसंद आई। आपने कहा कि दोहरी नीति रखना मुनासिब नहीं है और सरकार को प्राइस और प्रॉफिट के बारे में कोई नीति बनानी चाहिए। मुझे यह बात बड़ी माकूल लगी। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि पिछले 33, 34 सालों में सरकार दोहरी और तेहरी नीति चलाती रही है। ताकि देश में शोषक और शोषित दोनों बने रहें। उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी दोहरी नीति चलाई जाती है। एक तरफ बड़े-बड़े पब्लिक स्कूल हैं और दूसरी तरफ गांवों के छोटे स्कूल। इसी तरह दोहरी मूल्य नीति है। एक तरफ तो आवश्यक वस्तुओं की सरकारी दुकानें खोली जाती हैं और दूसरी तरफ उन्हें बाजार में भी बेचने की इजाजत दी जाती है। गेहूँ, चावल, साबुन और तेल वगैरह सरकारी दुकानों पर भी बिकेंगे और खुले बाजार में भी बिकेंगे और दोनों जगह उन चीजों के दाम अलग-अलग हैं। खुले बाजार में ज्यादा मुनाफ़ा होता है और सरकारी दुकानों पर मुनाफ़ा कम होता है।

लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि सरकारी दुकानों, फ़ेयर-प्राइस शाप्स या सुपर बाजार की दुकानों में जो चीज़ आज तेरह या सोलह रुपये में मिलेगी, दो महीने के बाद वह 18 रुपये में मिलेगी—दो महीने में दो रुपये दाम बढ़ जायेंगे। सरकारी दुकानों पर भी दाम बढ़ जाते हैं। जो लोग भी सरकार चलाते हैं, इन्दिरा गांधी की सरकार या कोई भी सरकार, वे जानते हैं कि उत्पादन कितना है और खपत कितनी है, और कमी कितनी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद बाजार में भाल न मिले, दुकानों पर



[श्री राध साल राही]

बाल उपलब्ध न हो, लेकिन चोर-बाजार में, बगल में, गली-कूचे में मिल जाए, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। अगर मंत्री महोदय चाहते हैं कि प्राइसिज पर नियंत्रण हो और काला बाजारी तथा चोर-बाजारी न हो, तो वह सब चीजों को न सही, कुछ चीजों को चुन लें और उन्हें सरकारी दुकानों पर बिकवाएं, और जिन चीजों की व्यवस्था वह नहीं कर सकते हैं, उन्हें वह प्राइवेट दुकानों पर बिकने दें। लेकिन लागत-मूल्य और प्राफिट तय होने चाहिए।

मैंने एक बार पहले कहा था और फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे एक छोटे कम्युनिस्ट कश्मी, जी डी आर, जाने का मौका मिला। मैंने बर्लिन में पूछा और बाल्टिक सागर के किनारे पर बसे एक गांव में पूछा, तो मुझे बताया गया कि पच्चीस सालों में कोई प्राइस नहीं बढ़ी है। अगर एक दियासलाई बर्लिन में 15 पैसे में मिल रही है, तो बाल्टिक सागर के एक टापू में भी 15 पैसे से बढ़ कर 16 पैसे कोई नहीं ले सकता है। इसकी तुलना में यहां दिल्ली में कोई चीज एक दाम से मिलती है, तो लखनऊ में वह दूसरे दाम से और गांवों में जहां बाढ़ है, वहां तो पूरी लूट मची हुई है। यह लूट कौन कराता है? व्यापारी कहता है कि सरकार हमको मार रही है, प्रशासनिक मशीनरी भ्रष्ट है, जब हम लाइसेंस या स्टॉक उठाने की बात करते हैं, तो हमको लेना-देना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी कहता है कि हम क्या करें, एक जमाने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब हमें सत्तारूढ़ पार्टी को चन्दा इकट्ठा करके देना पड़ता है। और ऐसा हुआ है। मैं आप से कहना चाहूंगा कि गढ़वाल में ऐसा किया। गढ़वाल में चुनाव के दो दिन पहले छापे डलवाये गए और उन से कहा गया कि आप पैसा दीजिए और वोट दीजिए। अगर नहीं देंगे तो सब के सब बन्द कर दिए

जाएंगे। दो दिन पहले ये छापे डलवाये गए.  
(व्यवधान) . . .

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि अभाव है। उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से बिजली काट कर चुनाव के दरमियान आप ने 24 घण्टे बिजली गढ़वाल में दी। क्यों ऐसा किया? क्या दूसरे जिलों के जो काश्तकार थे वे पैसे नहीं देते थे? . . . (व्यवधान) . . . यही नहीं, मिट्टी का तेल पांच लिटर महीने में एक बार मिलता था, चुनाव के दरमियान में उसे बढ़ा कर 15 लिटर किया गया। . . . (व्यवधान) चीनी का कोटा बढ़ा कर दिया गया।

मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार के लोग गलती करेंगे, बेईमानी करेंगे अपने स्वार्थों के कारण तो ये बर्नियो पर नियंत्रण नहीं कर पायेंगे। कथनी और करनी को इन को साफ करना पड़ेगा। अपना ईमान प्रदर्शित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, अपने चरित्र को प्रदर्शित करना पड़ेगा। तब उस का प्रभाव पड़ेगा सारे समाज पर। तब सारा समाज सुधरेगा, तब चोर-बाजारी और काला बाजारी दूर होगी। नहीं तो आप कानून बनाते रहेंगे, कुछ होगा नहीं। . . . (व्यवधान) . . .

मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, आज जो सत्तारूढ़ पक्ष की स्थिति मैंने देखी अगर उस में डिवीजन हो जाय तो पता चल जाय, क्यों कि दो विचार मैंने देखे हैं। एक ने बर्नियों की सपोर्ट की है और दूसरों ने खिलात की है। इस के माने इन में विरोधाभास है। . . . (व्यवधान) . . .

सभापति महोदय: आप जरा सुनिए तो। अब हाफ एन अवर डिस्कशन लिया जायगा।

The Minister will reply to the debate tomorrow.